# मज़ारात पर औरतों की हाज़िरी

इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी

मुसन्निफ़

आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा क़ादिरी मुहद्दिस बरेलवी

मुतर्जिम

डा० मौलाना सिराज अहमद क़ादिरी बस्तवी
(एम.ए.पी.एच.डी.)

# फ़ेहरिस्त मज़ामीन

## हरफ़े आग़ाज़

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

इमाम अहमद रज़ा अलैहिर्रहमत का हिन्दुस्तान ही नहीं बल्कि आलमें इस्लाम की उन अज़ीम हस्तियों में शुमार होता है जिनका वरूदे मसऊद तारीख के उस हिस्से में होता है जबकि तमाम अतराफ व जवानिब से शजरे इस्लाम को बातिल क़ुव्वतें नेस्तो नाबूद करने की नाकाम कोशिशें करती हैं और अहले इस्लाम को किस्म–किस्म के सब्ज़ बाग़ दिखाकर बातिल के दाम में फंसा कर इस्तेबाओ शयातीन पर ला खड़ा करने के लिए हमा रोज़ गामज़न रहती हैं। ऐसे वक्त में हज़ारहा गर्दिशे लैलो नहार लोगों की उन दुआओं और आरज़ूओं में कट जाती हैं कि परवरदिगारे आलम एक अज़ीम इंसान पैदा फ़रमा जो जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल का मज़हर हो—तब कहीं जा कर ऐसी शख़्सीयत लोगों के सामने नुमायां होती है जो दीनो व दुनिया के वह काम जो आम लोग सदियों में नहीं कर पाते थोड़ी मुद्दत में कर जाती है और दुनिया उसके कारन... देखकर अंगुश्त बदन्दाँ और मुतहय्यर रह जाती है और यह कहने पर मजबूर हो जाती है कि उसके पीछे कोई ख़ुदाई ताक़त ज़रूर कार–फ़रमा है जो उससे इतने अज़ीम काम अंजाम दिलाती है फिर ऐसी शख़्सीयत को आख़िर–कार दुनिया 'मुजिद्दे दीन व मिल्लत' कहने पर मजबूर हो जाती है।

मेरी गुफ़्तगू मौजूदा सदी के 'मुजद्दिदे आज़म इमाम अहमद रज़ा अलैहिर्रहमा वरिज़्वान के बारे में है जिनके बेशुमार कारनामे और तसानीफ़े कसीरा से अवराक़ भरे पड़े हैं। वक़्त का बहुत बड़ा सानिहा है कि आज मुसलमान उस मुजद्दिद की पचास उलूम व फ़ुनून पर लिखी हुई किताबों कि इशाअत तो दर किनार कितनी कुतुबे नादिरा महफ़ूज़ भी न रख सके अगरचे इशाअती काम मामूली नहीं इसमें हज़ारहा दिक़्क़तें सामने आती हैं। सैकड़ों वसाइल तलाश करने पड़ते हैं। साथ ही माल व दौलत की फ़रावानी भी चाहिए इस लिहाज़ से यह काम अहले दुवल का था। मगर इस्लाम की तरफ़ से उनकी तवज्जोह ज़्यादातर हट जाने की वजह से ग़रीब मुसलमानों ही ने यह बेड़ा उठाया। हां इस मौज़ू पर अल–मजमउल

इस्लामी का ज़िक्र बेजा न होगा जिसने अपनी दाद आफ़री काविशों का सुबूत दिया और इसी अकेडमी की तहरीक और कारनामों को देख कर हमारे मदरसा फ़ैज़ुल उलूम के तलबा में भी इशाअती ख़िदमात का जोश व जज़्बा पैदा हुआ। लेकिन इतना बड़ा काम उनके बस का नहीं था मगर उस्तादे गरामी हज़रत मौलाना मुहम्मद अहमद मिस्बाही दामत बरकातुहुम का बहुत बड़ा एहसान है जिन्होंने इस मक़सद की तकमील पर उन्हे ढारस बधाई और आला हज़रत की किताब *'जुमलुन्नूर फ़ी नहयिन्निसाए अन ज़ियारतिल क़ुबूर'* जिसे आज आम लोगों को पढ़ने में दुशवारियों का सामना करना पड़ता है। इसमें अरबी मज़ामीन के तर्जुमा के साथ ही ज़रूरी जगहों पर हाशिया से मुज़य्यन कर के इस किताब की क़द्रो क़ीमत दोबाला कर दी। नीज़ हम जुमला मुदर्रेसीन व असातज़ा के शुक्र गुज़ार हैं जिन्होंने अपने मुफ़ीद मशवरों और माली तआवुन से हमारे हाथों को मज़बूत फ़रमाया।

अब आख़िर में इस किताब से इस्तिफ़ादा करने वाले तमाम हज़रात से अपील है कि अपनी मख़सूस दुआओं में मजलिसे इशाअ़ते तलबा फ़ैज़ुल उलूम को न भूलें और उनकी तरक़्क़ीए दर्जात की दुआयें करते रहें।

*वस्सलाम*

अहमदुल क़ादरी भीरवी
मुतअल्लिम मदरसा फ़ैज़ुल उलूम
मुहम्मदाबाद गोहना, मऊ
(8 रजब सन् 1400 हि. शम्बा)

# मुतर्जिम की बात

इस्लाही अदब में इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी की इस किताब को अव्वलियत का दर्जा हासिल है आज कल जो कुछ खानकाहों और मज़ारों पर अफआले शनीआ हो रहे हैं। उनको देखकर इमाम अहमद रज़ा से ग़ैर मानूस तबक़ा उसको इमाम अहमद रज़ा का नज़रिया तसव्वुर करता है और उसी को बुनियाद बनाकर आप पर मुफसिद व बिदअती होने का इल्ज़ाम आइद करता है। यह मुग़ालता उसको महज़ इसलिये हुआ कि उसने कभी इमाम अहमद रज़ा कि किताबों से रुजूअ करने की कोशिश न की। वरना आज उम्मते मुस्लिमा से इन्तिशार व इफ्तिराक़ की खलीज काफी पट चुकी होती और दुनिया दिन के उजाले और अपने माथे कि आँखों से मुशाहिदा करती कि इमाम अहमद रज़ा क्या थे? और इस बात का इकरार करने पर मजबूर हो जाती कि इमाम अहमद रज़ा एक जय्यद अबक़री आलिमे दीन थे उनकी ज़िन्दगी का वतीरा इस्लाहे उम्मत ही था न कि बिदअतों व मुफसिदात को फरोग देना, आज भी उनकी किताबें, उनकी तहरीरें, उनके नज़रियात की तर्जुमान हैं और उम्मते मुस्लिमा के उन अफराद से चीख चीख कर मुतालबा कर रही हैं कि ऐ मुझसे नामानूस लोगो मुझको पढ़ने की कोशिश करो। हकीकत तुम्हारी समझ में खुद आ जायेगी। भला हो उस नये तबके का जो इमाम अहमद रज़ा पर तहक़ीक़ व तफहहुश का काम कर रहा है और उनके नज़रियात को नये नये गोशों से उजागर करके अपने और पराये तक पहुंचा रहा है। खुद इस बन्दए नाचीज़ ने एक तहकीकी मकाला "इस्लाही अदब में इमाम अहमद रज़ा की सई" के नाम से कलम बन्द किया था जो सन 1992 के सालनामा मआरिफे रज़ा कराची पाकिस्तान से इशाअत पज़ीर हुआ था। जिसको बाद में लखनऊ के एक जय्यद आलिमे दीन हज़रत कारी मुहम्मद अहमद ने कुतुब खाना मीनाइया लखनऊ से किताबी शक्ल में शाया करके उम्मते मुस्लिमा के हर फर्द तक पहुंचाने की कोशिश करके मेरी दिली ख़्वाहिशों का एहतिराम किया। अल्लाह तआला हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तुफैल उनको खूब खूब नेकी दे आमीन।

इसके बाद बन्दा इस्लाही अदब के हवाले से इमाम अहमद रज़ा पर एक मुफस्सल किताब बनाम "इमाम अहमद रज़ा का नज़रियए ख़ानकाह" लिखने का इरादा रखता है। कारईन किराम से गुजारिश है कि इस नेक काम की तकमील व तअमील के लिये दुआयें फरमायें, आमीन।

फकत

डा॰ मौलाना सिराज अहमद कादिरी बस्तवी

(एम. ए., पी. एच. डी.)

अभिसूचना इकाई

पुलिस अधिक्षक कार्यालय, बस्ती

## नूर के जुम्ले औरतों को ज़ियारते क़ुबूर से रोकने के बारे में

نحمدہٗ ونصلی علٰی رسولہ الکریم

मसला– मौलवी हकीम अ़ब्दुर्रहीम साहब मुदर्रिस अव्वल मदरसा क़ादिरिया अहमदाबाद (गुजरात) मुहल्ला जमालपुर, 28 सफ़र सन् 1339 हिजरी–

मौलाना मौसूफ़ ने एक रजिस्ट्री भेजी जिसमें बहरूर्राइक़ व तसहीहुल मसाइल मौलाना फ़ज़ले रसूल साहब रहमतुल्लाह अलैहि के हवाला से औरतों के लिए ज़ियारते क़ुबूर को जाने की इजाज़त पर ज़ोर दिया गया था उनको यह जवाब भेजा गया।



## औरतों के लिए ज़ियारते क़ुबूर की मुमानअ़त

अल–जवाबः– मौलानलमुकर्रम मौलवी हकीम अ़ब्दुर्रहीम साहब ज़ीद करमुकुम अस्सलामु अ़लैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

आपकी दो रजिस्ट्रियां आयीं तीन महीने से ज़ाइद हुए कि मेरी आंख अच्छी नहीं थी। मेरी राय इस मसले में ख़िलाफ़ पर है। मुद्दत हुई इस बारे में मेरा फ़तवा तुहफ़ए हनफ़िया में छप चुका। मैं उस रूख़सत को जो बहरूर्राइक़ में लिखी है मान कर नज़र बहालते निसा सिवाए हाज़रिए रौज़ए अनवर कि वाजिब या क़रीब बवाजिब है। मज़ाराते औलिया या दिगर क़ुबूर की ज़ियारत को औरतों का जाना बइत्तिबाए ग़ुनिया अ़ल्लामा मुहक़्क़िक़ इब्राहीम हलबी हरगिज़ पसन्द नहीं करता ख़ुसूसन इस तूफ़ाने बे तमीज़िए रक़्स व मज़ामीर व सुरूद में जो आजकल जुहहाल ने आरासे तय्यबा में बरपा कर रखा है। उसकी शिरकत तो मैं अ़वाम रिजाल को भी पसन्द नहीं रखता न कि वह जिनको अंजशा रज़ियल्लाहु तआला

अन्हु की हुदी ख़ानी ब–इलहाने ख़ुश पर औरतों के सामने मुमानअत फ़रमाकर उन्हें नाज़ुक शीशियाँ फ़रमाया। वस्सलाम

मौलवी साहब ने दुबारा रजिस्ट्री भेजी जिस पर यह जवाब इरसाल हुआ।

मसला:– अज़ अहमदाबाद गुजरात मुहल्ला जमालपुर मुरसेलह मौलवी हकीम अब्दुर्रहीम 13 रबिउल आख़िर सन 1939 हिजरी।

मख़दूमी मुकर्रमी मुअज़्ज़मी जनाब मौलाना साहब दाम मुहब्बतकुम

बाद सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू के वाज़िह राय आली हो कि मुहब्बतनामा मौसूल हुआ। फ़तवा को आपके देखा। हज़रत मौलाना मुझे आप इस मसले में समझाइये कि मस्जिदे नबवी में तीन सौ मर्द और एक सौ सत्तर औरतें थीं ये मुनाफ़िकीन आख़िरी सफ़ में खड़े हुऐ थे और औरतों को झांकते बहकाते थे। नमाज़े फ़ज्र व इशा में औरतें तवज्जोहे अनवारे हकीक़ते मुहम्मदी व हकीक़ते क़ुरआन के लिए हाज़िर होती थीं तो मुनाफ़िकीन की नालाइक हरकत का इन्तिज़ाम ख़ुदाए तआला और क़ुरआने अज़ीम ने यह न किया कि मुनाफ़िकीन और फ़ैज़ लेने वाली औरतों को यह हुक्म दिया होता कि दोनों मस्जिदे नबवी में जमा न हों और फ़ैज़ रिसानी औरतों की इस बहाने से बन्द न हुई। बल्कि इन्तिज़ामे फ़ैज़ रिसानी यह हुआ कि لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِيْنَ وَاِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ और इन्तिज़ाम हज़रत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह किया– خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ اَوَّلُهَا وَشَرُّهَا اٰخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ اٰخِرُهَا وَشَرُّهَا اَوَّلُهَا मस्जिद में औरतों की नमाज़ बन्द हुई। इसको बन्दा मानता है। फ़ैज़े हकीक़ते मुहम्मदी व हकीक़ते क़ुरआन

लेने को बापर्दा पाँच दस औरतें मुहल्ला की मिलकर मुर्शिद के मकान पर जायें। और मुर्शिदे तरीक़त मुरतइश और शेख़ फ़ानी पर्दा में बैठा कर उनको तवज्जोह हक़ीक़ते मुहम्मदी और हक़ीक़ते क़ुरआन की दे। उस पर हुक्मे हुर्मत लगाना गलत और फ़ैजे मुहम्मदी का मुकाबला और मूरिद يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ बनना है। शेखे तरीक़त तो إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ الآية में जो अमानत है उसको ज़ाकिरात के सीने में बा पर्दा बैठा कर तवज्जोह देकर जमाता है और यह उस अमानत की जड उखेड़ता है। यह फ़ैज जड उखाड़ने वाले को बे--वकार करके उखाड़ देगा। मुहम्मदिल मशरब सुन्नते हजरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अमल करता है। हज़रत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरतों को तवज्जोह दी। अव्वल मुरीद करके यह भी औरतों को मुरीद करके तवज्जोह देता है। तरीकए आलिया क़ादिरिया की तवज्जोह कलिमए तय्यबा के ज़िक्र की होगी। अब औरतों को पर्दा में बैठा कर ज़िक्र कलिमए तय्यबा की बताई जायेगी। ज़र्बे *इल्लल्लाह* क़ल्ब पर मारना सिखाया जायेगा। पर्दा में औरत ख़लीफ़ा मुर्शिदे तरीक़त की बैठकर ज़िक्र कलिमए तय्यब की सिखाता है और मुर्शिदे तरीक़त ऊँच नीच समझाते हैं। यहा ख़लवते अजनबिया का हुक्म नहीं लगता यह जलवत है जबलत में फ़ैज़ रिसानी तरीक़ए आलिया क़ादिरिया की होती हैं और इसी तरह इस मजलिस में तरीक़ए नक़शबन्दिया मुजद्दिया की तवज्जोह भी औरतों को दी जाती है।

बरेली में हाज़िरी का कई बार मौका हुआ है। वहा यह अमल देखने में नहीं आया। न वहां सुना कि कोई मशाइख़ यह करते हैं। हमारे यहां डोली मियाना मुश्किल से मिलता है। ग़ुरबा व मसाकीन में क़ुदरत इन सवारियों मे बैठने की नहीं और न क़ुरआने अज़ीम ने डोली व मियाना का हुक्म दिया है। يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ

और قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ और इस पर्दा पर अहमदाबाद की وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ जाकिरात का अमल है।

उमदतुल कारी शरहे बुखारी जिल्द नं॰ 4 सफहा 78

حاصل الکلام من هٰذا کله ان زیارة القبور مکروهة للنساء بل حرام فی هٰذا الزمان لاسیما نساء مصر، لان خروجهن علی وجه الفساد والفتنة و انما رخصت الزیادة لتذکر امر الاٰخرة وللاعتبار بمن مضی وللتزهد فی الدنیا

यह हुक्म मिस्र की बगाया मुगन्निया दल्लाला का है। इस हुक्म को नेक बख़्त औरतों पर लगाना ग़लत है।

لو ادرك رسول الله صلی الله علیه وسلم ما احدثت النساء بعضهن صنف بنايا ومنهن يغنين باصوات عالية مطربة की शरह उमदतुल कारी जिल्द 3 सफहा 30 में है।

अहमदाबाद में तीन कोस दरगाह हज़रत गंज अहमद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की है। मकान बहुत पुर–फ़ज़ा है और तालाब संगीन है। वहां धुनिये की कौम और लकड़ बेचने वाली कौम की औरतें लहंगा साड़ी पहन कर जाती हैं और गर्बे गाती हैं और उनकी कौम की ज़ियाफ़तें होती हैं। उसमें वह औरतें गर्बे गाती हैं। हल्का औरतों का बन जाता है और ताली बजाती हैं और फिरती जाती हैं रंडियों की तरह गीत गाती जाती हैं। उन पर بل حرام فی هٰذا الزمان لاسیما نساء مصر का हुक्म बराबर उम्दा तौर पर चिस्पाँ है और ग़ुनियतुल मुसतमली के सफ़हा 595 में وان یکون فی زماننا للتحریم لما فی خروجهن من الفساد और जो औरतें क़व्वाली रंडियों की और क़व्वाली मर्दों की सुनने जाती हैं। उनको ज़ियारते क़ुबूर को जाना हराम है।

उनके हराम होने से जाकिरात और फ़ैज़ लेने जाने वाली

औरतों को क्या नुक़्सान अगरचे ऐसी औरत हज़ारों में एक हो। दस हज़ार आदमियों ने कुत्ते और खिनज़ीर के गोश्त की बिरयानी पकाई है और एक ने बकरी के गोश्त की बिरयानी पकाई दोनों बिरयानियों पर हुक्मे हुर्मत और हुक्मे हिल्लत ग़लत, और कुत्ते की बिरयानी पर हुक्मे हुर्मत और बकरी की बिरयानी पर हुक्मे हिल्लत सही दोनों का हुक्म जुदा मुफ़्ती को बयान करना पड़ेगा।

افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ام نجعل المتقين كالفجّار

असाफ़ और नाइला ने जाहिलियत में ज़िना किया और क़ुदरते इलाहिया ने दोनों को मसख़ कर दिया। ऐसे मुतबर्रक मकान में दोनों ने ख़बासत की। या कोई सफ़रे हरमैन तय्यबैन में ख़बीस अमल से पेश आये तो क्या उस ख़बीस की ख़बासत को देखकर और उससे इस्तिनाद करके औरतों के हज व ज़ियारत हज़रत नबी अ़लैहिस्सलातु वस्सलाम के अ़दमे जवाज़ का फ़तवा जारी कर दिया जायेगा, हरगिज़ नहीं।

हज़रत ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती के मज़ारे मुक़द्दस में ग़रबी दीवार में कलाम मजीद रखा है उस दीवार के पीछे औरतें बैठकर तवज्जोह लेती हैं ज़िक्र फ़िक्र मुराक़बा करती हैं। बुर्क़ा ओढ़ कर आती हैं। इख़्तिलात मर्दों और औरतों का यहां बिल्कुल नहीं। अब यह औरतें नुरूल्लाह दिल में भरने के लिए हाज़िर होती हैं। यह फ़ैज़ रिसानी हक़ीक़ते मुहम्मदी की औरतों को ख़्वाजा ग़रीब नवाज़ क़ुदिसा सिर्रहुल अ़ज़ीज़ करते हैं और इस फ़ैज़ में वह क़ुव्वत है कि लाखों कोसों से फ़ैज़ लेने वालियों को आप बुला लेते हैं यह जगह मक़ामे क़व्वाली से दूर है और नमाज़े फ़ज्र से इशराक तक और मग़रिब और इशा के बीच में इस पर्दे वाले मकान में औरतें जमा हो कर फ़ैज़ लेती हैं और उस वक़्त नुक़्सान क़व्वाली का बिल्कुल नहीं और यह औरतें नेक बख़्त पर्दानशीन बुर्क़ा ओढ़कर आने वाली हैं आपने इसको आंखों से नहीं देखा और मैंने इसको आंखों से देखा

है। बन्दा इसको शहादत के तौर पर बयान कर सकता है और आपको आंखों से दिखा कर तसल्ली कर सकता है। अब इन औरतों पर हुक्मे हुर्मत लगाना ग़लत है।

सरखीज़ कसबा, अहमदाबाद में जो औरतें गर्बे गाने वालियां फ़ाहिशात मुग़न्नियात और रंडी हैं और बा पर्दा सवा लाख कलिमए तय्यब का खत्म पढने वाली ज़िक्रे खफी मुराकबा फैज़े हकीकते मुहम्मदी लेने वाली ज़ाकिरात पर रंडियों का हुक्म लगा कर दोनों को एक फांसी में लटका देना ग़लत है। हुक़ूके औलिया व ख़ैर ख़्वाहिए औलिया व खैर–ख़्वाहिए सय्यदुल अव्वलीन वल–आखरीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यह नहीं الدين النصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين यह कहां हुई। औलिया फैज़े हकीकते मुहम्मदी का देने को ज़ाकिरात को बुलाते हैं, वह बा–पर्दा और शरीअत के अहकाम को सर पर रखकर हाज़िर होती हैं और मुफ़्ती उन पर हुक्मे अदमे जवाज़ लगा दें।



इस सूरत में फैज़े हकीकते मुहम्मदी को रोकना है। इसका नाम दोस्तीए हज़रत नबी अ़लैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं। हम आप से छोटे और आपके इकदाम को अपने सरों पर रखने वाले हैं। मगर आप का क़दम सिराते मुस्तक़ीम से फिसल गया तो अ़र्ज़ करना चाहिए। हुद हुद दो पैसे की चिड़िया, हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलातु वस्सलाम कि खिदमत में अर्ज़ करता है।

أَحَطتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍۭ بِنَبَإٍ يَّقِيْنٍ ؕ

अव्वल तो एक मुद्दत से आंखें आपकी रमद में मुबतला हैं और हाथ बड़ों–बड़ों से मिलाया है। तबीअत परेशान है, यह कलम इस वक़्त मेरा न समझिये आपके हम ग़ुलाम हैं, तो दस्त बस्ता अ़र्ज़ करते हैं इसको आप बग़ावत न समझें।

हज़रत आइशा सिद्दीका को ज़ियारते क़ुबूर के वक़्त सलाम करना, हज़रत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया। मिशकात

शरीफ़, मुस्लिम शरीफ़ नेसई जिल्द 1 सफ़हा 635 में है "ई दलालत दारद बर जवाज़े ज़ियारत मर निसा रा" इमामा नुव्वी शरह मुस्लिम की जिल्द (1) सफ़हा 314 में फ़रमाते हैं। فيه دليل لمن جوز للنساء زيارة القبور फ़तहुल बारी पारा (5) मतबअ़ अंसारी देहली सफ़हा 662 में है। اُختلِفَ فِی النِّسَاءِ فَقِیْلَ دَخَلْنَ فِی عُمُوْمِ الْاِذْنِ وَھُوَ قَوْلُ الْاَکْثَرِ وَمَحَلُّہٗ اِذَا اَمِنَتِ الْفِتْنَۃِ

अब ततबीक़ समझ लीजिए कि गर्बे गाने वाली, कव्वाली सुनने वाली औरतों के लिए ज़ियारते क़ुबूरे औलिया को जाना हराम और फ़ैज़े इलाही लेने वाली औरतों को बापर्दा शरीअ़त के अहकाम को बजा लाकर करना जाइज़।



मैंने मसला इस तरह मुशर्रह बयान किया है। इसको आप सही समझते हैं या मेरी समझ में कोई ग़लती है मुझे समझाईये। आप मेरे मुरब्बी और क़िब्ला व कअ़बए हाजात हैं खुदा तआला आपको सिहते कुल्लिया आजिला अता फ़रमाये– आमीन सुम्म आमीन0

रक़मुहू हकीम अब्दुर्रहीम अफ़ी अन्हु
मुदर्रिसे अव्वल मदरसा क़ादिरिया,
अहमदाबाद (गुजरात)
दकन–जमालपुर मस्जिद कांच

मुअर्रख़ा 15 रबिउल अव्वल शरीफ़———और मुस्तफ़ा मियां (हुज़ूर मुफ़्तीए आज़म हिन्द साहब) को पास बैठा कर इसका जवाब उनसे लिखवा कर मेरी तसल्ली कर दीजिए मैं ग़लत समझा हू तो सही समझाईये और वह फ़तवा जो तुहफ़ए हनफ़िया में अदमे जवाज़ ज़ियारते क़ूबूरे निसा (औरतों) के बारे में है उसकी नक़ल भी करवा कर रवाना फ़रमाईये उसके दलाइल से भी वाक़िफ़ होना बन्दा चाहता है।

अल–जवाब

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ    نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

मौलानुल–मुकर्रम अकरमुकुम व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। आपकी रजिस्ट्री 15 रबीउल आख़िर शरीफ़ को आई मैं 12 रबीउल अव्वल शरीफ़ की मजलिस पढ़कर शाम ही से ऐसा अलील हुआ कि कभी न हुआ था। मैंने वसीयत नामा भी लिखवा दिया था आज तक यह हालत है कि दरवाज़ा से मुत्तसिल मस्जिद है। चार आदमी कुर्सी पर बैठाकर मस्जिद ले जाते और लाते हैं।[1] मेरे नज़दीक वही दो हर्फ़ कि अव्वल गुज़ारिश हुए काफी थे अब क़दरे तफसील करूं।

## क़दीम उलमा की तरफ़ से औरतों के लिए ज़ियारते क़ुबूर की मुमानअत

पहले गुज़ारिश कर चुका कि इबारात रुख़सत मेरी नज़र में हैं।[2] मगर नज़र बहाले ज़माना मेरे, न मेरे बल्कि अकाबिरे मुतक़द्दमीन (पहले के बड़े–बड़े उलमा) के नज़दीक सबीले

1. इस इबारत से जहां यह ज़ाहिर हुआ कि हज़रत सख़्त बीमार थे, वहीं यह भी पता चला कि ऐसी सख़्त अलालत में भी जमाअत छोड़कर घर में तन्हा नमाज़ पढ़ लेना गवारा न था। जबकि इतनी शदीद अलालत बिला शुब्हा तर्के जमाअत के लिए उज़्र है। एक मर्तबा उस्तादे मोहतरम हुज़ूर हाफिज़े मिल्लत मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब मुरादाबादी अलैहिर्रहमा (1312 हि./1396हि.) बानी अल–जामिअतुल अशरफ़िया मुबारकपुर ने आला हज़रत की इसी बीमारी का हाल बयान किया कि "एक बार मस्जिद ले जाने वाला कोई न था, जमाअत का वक़्त हो गया, तबीअत परेशान, नाचार खुद ही किसी तरह घिसटते हुए हाज़िरे मस्जिद हुए और बा–जमाअत नमाज़ अदा की" आज सेहत व ताक़त और तमामतर सुहूलत के बावजूद तर्के नमाज़ और तर्के जमाअत के माहौल में यह वाकिया ऐ अज़ीम दर्से इबरत है।

2. इस जुमले से फ़ाज़िल बरेलवी के फतवा की अहमियत मालूम होती है। ऐसा नहीं कि उनकी नज़र में सिर्फ मुमानअत वाली इबारतें थीं। जिन इबारतों से औरतों के ज़ियारते क़ुबूर की इजाज़त का इस्तम्बात या सुबूत हो सकता है वह भी सामने हैं—— और जिन दलाइल से नाजाइज़ होना साबित होता है वह भी सामने हैं। सब पेशे नज़र रखते हुए

मुमानअत ही है और इसी को अहले एहतियात ने इख़्तियार फ़रमाया। आप खुद फ़रमाते हैं कि मुनफ़िक़ीन के बाइस औरतों को मस्जिदे करीम में हाज़िरी से अल्लाह जल्ल व अ़ला व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने मुमानअत फ़रमाई। बल्कि मुनाफ़िक़ों को तहदीद व तरहीब (ख़ौफ़ और डर सुनाना) और मर्दों को तक़दमुम (आगे होना) औरतों को तअख़्ख़ुर (पीछे रहना) की तरग़ीब फ़रमायी।

## हुज़ूरे अकरम की तरफ़ से औरतों को नमाज़े ईद पढ़ने का हुक्म

और मैं इतना और ज़ाइद करता हूं कि सिर्फ यही नहीं बल्कि निसा (औरत) को हुज़ूर ने ईदैन.........की सख़्त ताकीद फ़रमाई। यहां तक हुक्म फ़रमाया कि बरकते जमाअत व दुआये मुस्लिमीन लेने को हैज़ वालियां भी निकलें। मुसल्ले से अलग बैठें। पर्दानशीन व कुंवारियां भी जायें जिसके पास चादर न हो साथ वाली उसे अपनी चादर में ले ले।

सहीहैन में उम्मे अ़तिया रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हा से है।

أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ وَتَعْتَزِلَ

हमें हुक्म दिया गया कि हम हैज़ वालियों को ईदैन के दिन निकालें और पर्दा वालियों को। तो यह मुसलमानों की जमाअत और उनकी दुआ में शरीक हों और हैज़ वालियां उनकी नमाज़ गाह से किनारे रहें। एक औरत ने अर्ज़

---

अकाबिर उलमा की तरह खुद भी मुमानअत ही का फैसला किया, और इसे भी वाज़ेह फरमाया कि आखिर औरतों के लिए ज़ियारते क़ुबूर को जाना क्यों जाइज़ नहीं? मौला तआ़ला हमें शरीअत की रोशनी में सोचने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।

الحُيَّضَ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ قَالَتِ امْرَأَةٌ - يَا رَسُولَ اللهِ إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا

किया या रसूलल्लाह! हम में कोई ऐसी भी है जिसके पास (पर्दा करने के लिए) चादर नहीं, फ़रमाया उसके साथ वाली उसको अपनी चादर से एक हिस्सा ओढ़ा दे।

## हुज़ूरे अकरम का हुक्म कि औरतों को मस्जिद से न रोको

और यह सिर्फ ईदैन में अम्र (हुक्म) ही नहीं बल्कि मसाजिद से औरतों को[1] रोकने से मुतलक़न नहीं (मुमानअ़त, रोकना) भी इर्शाद हुई कि अल्लाह की बांदियों को अल्लाह की मस्जिदों से न रोको मुसनद इमाम अहमद व सही मुस्लिम शरीफ़ में है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ अल्लाह की बांदियों को अल्लाह की मस्जिदों से न रोको। यह हदीस सही बुख़ारी किताबुल जुमा में भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहिवसल्लम का अम्र वजूब के लिये है और न ही तहरीम के लिये और फ़ैज़ व बरकत लेने का फ़ाइदा खुद हदीस में इर्शाद हुआ। बईं हमा आप ही लिखते हैं कि मस्जिद में औरतों की नमाज़ बन्द हुई इसको बन्दा मानता है।

---

1. इतनी बात है कि इस में सहाबी के नाम की सराहत नहीं तो किसी ने कहा यह हज़रत उमर से मरवी है। जैसा कि मुहद्दिस अब्दुर्रज़्ज़ाक और इमाम अहमद की तसनीफात में यह हदीस हजरत उमर से मरवी है और किसी ने कहा कि हजरत इब्ने उमर से रिवायत है। जैसा कि इमाम मुस्लिम और इमाम अहमद के यहां है।

لا يَضُرُّ أَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ فِيهِ بِاسْمِ الصَّحَابِيِّ فَقِيلَ عَنْ عُمَرَ كَمَا عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَأَحْمَدَ وَقِيلَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَمَا عِنْدَ مُسْلِمٍ وَأَحْمَدَ - وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ مِنْهُ غُفِرَ لَهُ

## महफ़िले वअ़ज़ और जमाअ़त में औरतों की शिरकत नाजाइज़ है

दुर्रे मुख़्तार की इबारत आप से मख़फ़ी न होगी कि ......

يكره حضورهن الجماعة ولو لجمعة وعيد ووعظ مطلقا ولو عجوز ليلا على المذهب المفتى به لفساد الزمان

फ़सादे ज़माना के बाइस जमाअ़त में औरतों की हाज़िरी मुतलक़न ममनूअ़ (मकरूहे तहरीमी व नाजाइज़) है। अगरचे जुमा या ईद या वअ़ज़ के लिये हाज़िरी हो। अगरचे बुढ़िया की हाज़िरी शब ही को हो यह उस मज़हब के मुताबिक़ है। जिस पर फ़तवा है।

इसी तरह और कुतुबे मुअ़तमिदा में है। अइम्मए दीन ने जमाअ़त व जुमा व ईदैन दर किनार वअ़ज़ की हाज़िरी[1] से भी मुतलक़न मना फ़रमा दिया। अगरचे बुढ़िया हो, अगरचे रात हो,

1. जलसों और महफ़िलों में औरतों को दावते शिरकत देने वाले इससे सबक लें और सोचें कि जब नमाज़ की जमाअ़तों और जुमा व ईदैन से औरतों को रोक दिया गया तो जलसों में जाने की इजाज़त कैसे होगी, फिर यह भी देखना चाहिए कि वहां जाकर वह इल्म व फ़ैज़ कितना हासिल करती हैं। शाज़ो नादिर कुछ औरतें ऐसी होंगी जो बग़ौर वअ़ज़ सुनें और उस पर अमल करें वरना वह पन्चानवे फ़ीसद बल्कि निन्नानवे फ़ीसद तो गोया जलसों के बहाने बाहम मिलकर बातें करने जाती हैं। औरतों की तर्बियत व तालीम के लिए हमें भी वही राह इख़्तियार करनी होगी जो हमारे अगले बुज़ुर्गों ने इख़्तियार की उन्हें उनके शौहर माँ–बाप या दीगर नेक महारिम, दीनी मालूमात और शरअ़ी अहकाम बाहम पहुंचायें कुछ लोग अपनी लड़कियों को ऐसी तालीम दें कि वह दूसरी लड़कियों और ख़्वातीन को पर्दे और अहकामे शरीअ़त की पाबन्दी के साथ बहुस्नो ख़ूबी दीनी अहकाम बतायें और सिखायें। जिस तरह माँ–बाप अपनी लड़कियों को घर के काम–काज सिखाने में पूरी सख़्ती ख़ैरख़्वाही एहतिमाम और तवज्जोह का मुज़ाहिरा करते हैं। इसी तरह दीन के मामले में भी अपनी मेहनत व तवज्जोह का सुबूत दें और शुरू ही से उनमें दीनी मिज़ाज पैदा करें, दीनी अहकाम सिखायें, अमल करायें, और ज़रूरी किताबों की तालीम दिलायें ताकि वह बड़ी होने के बाद घर के अन्दर रह कर ही मुताला व मुज़ाकरा और शौक़ व मेहनत

वअ़ज़ से मकसूद तो सिर्फ़ अख़ज़े फ़ैज़[1] व समाअ़, अम्र बिल मअरूफ़ व नही अनिल मुनकर व तसहीहे अक़ाइद व आमाल है कि तवज्जोहे मशैख़त[3] से हज़ार दर्जा अहम व आज़म और उसकी असल मुक़द्दम है। इसका फ़ैज बे तवज्जोह मशैख़त भी अ़ज़ीम मुफ़ीद व दाफ़ेअ हर ज़र्रे शदीद है और यह न हो तो तवज्जोहे मशैख़त कुछ मुफ़ीद नहीं बल्कि ज़रर से क़रीब नफ़अ़ से बईद है। क्या इमाम आज़म व इमाम अबू यूसुफ़ व इमाम मुहम्मद व साइर अइम्मए मा बअ़द रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हुम को फ़ैज़ हीककते अकदस से रोकने वाला और मआ़ज़ अल्लाह मआ़ज़ अल्लाह

में दाख़िल माना जायेगा। हाशा यह अतिब्बाए क़ुलूब हैं मुसालेह शरअ़ जानते हैं।



## हज़रत आइशा और ताबईन की तरफ़ से औरतों के लिए मस्जिद में आने की मुमानअ़त

सही बुख़ारी व सही मुस्लिम सोनने अबू दाऊद में उम्मुल मुमेनीन आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा का इर्शाद अपने ज़माने में था।

لَوْ اَدْرَكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَحْدَثَ النِّسَآءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَآءُ بَنِىْ اِسْرَآئِيْلَ۔

अगर नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम मुलाहज़ा फ़रमाते, जो बातें औरतों ने अब पैदा की हैं तो ज़रूर उन्हें मस्जिद से मना फ़रमा देते जैसे बनी इस्राईल की औरतें मना कर दी गयीं।

से अपनी मालूमात में इज़ाफ़ा और शरीअत पर अमल करती रहें।

2. फ़ैज़ लेना, नेकी का हुक्म और बुराई की मुमानअत सुनना, अकीदा व अमल सही करना।

3. पीरी की तवज्जोह।

4. चाहते हैं कि अल्लाह का नूर अपने मुंह (या, मुंहों) से बुझा दें।

फिर ताबईन ही के ज़माने से अइम्मा ने मुमानअ़त शुरू फ़रमा दी पहले जवान औरतों को फिर बुढ़ियों को भी, पहले दिन में फिर रात को भी, यहां तक कि हुक्मे मुमानअ़त आम हो गया। क्या उस ज़माने की औरतें गर्बे वालियों की तरह गाने नाचने वालियां या फ़ाहिशा दल्लाला थीं अब सालिहात हैं ? या जब फ़ाहिशात ज़ाइद थीं, अब सालिहात ज़्यादा हैं? या जब फ़ुयूज़ व बरकात न थे, अब हैं? या जब कम थे? अब ज़ाइद हैं? हाशा बल्कि क़तअ़न यक़ीनन अब मुआ़मला बिल अक्स (उल्टा, पहले के बर खिलाफ़) है। अब अगर एक सालिहा है, तो जब हज़ार थीं। जब अगर एक फ़ासिक़ा थी अब हज़ार हैं। अब अगर एक हिस्सा फ़ैज़ है, जब हज़ार हिस्से था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं।

لَا يَأْتِيْ عَامٌ اِلَّا وَالَّذِىْ بَعْدَهٗ شَرٌّ مِّنْهُ यानी हर बाद वाला साल पहले से बुरा होगा।

बल्कि इनाया इमाम अकमलुद्दीन बाबरकी में है कि अमीरुल मुमेनीन फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु ने औरतों को मस्जिद से मना फ़रमाया। वह उम्मुल मुमेनीन हज़रत सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हा के पास शिकायत ले गयीं। फ़रमाया अगर ज़मानए अक़्दस में हालत यह होती। हुज़ूर औरतों को मस्जिद में आने की इजाज़त न देते।

## हज़रत उमर फ़ारूक़ की तरफ़ से मुमानअ़त

حيث قال *(है–स क़ा–ल)* उनके अल्फ़ाज़ यह हैं।

وَلَقَدْ نَهٰى عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ النِّسَاءَ عَنِ الْخُرُوْجِ اِلَى الْمَسَاجِدِ فَشَكَوْنَ اِلٰى عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا فَقَالَتْ لَوْ عَلِمَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلِمَ عُمَرُ مَا اَذِنَ لَكُنَّ فِى الْخُرُوْجِ

## जवान और बूढ़ी औरतों के लिए जमाअ़त में शिरकत की मुमानअ़त

फिर फ़रमायाः-

فَاحْتَجَّ بِهِ عُلَمَاءُنَا وَمَنَعُوا الشَّوَابَّ عَنِ الْخُرُوْجِ مُطْلَقًا۔ اَمَّا الْعَجَائِزُ فَمَنَعَهُنَّ اَبُوْحَنِيْفَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ الْخُرُوْجِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ دُوْنَ الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالْفَتْوٰى الْيَوْمَ عَلٰى كَرَاهَةِ حُضُوْرِهِنَّ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا لِظُهُوْرِ الْفَسَادِ۔

इससे हमारे उलमा ने इस्तिदलाल किया और जवान औरतों को निकलने से मुतलक़न मना फ़रमा दिया। रही बूढ़ियां तो इमाम अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें ज़ुहर व अस्र में निकलने से मना किया फ़ज्र व मग़रिब और इशा से नहीं, मगर आज फ़तवा इस पर है कि बूढ़ियों की हाज़िरी भी तमाम नमाज़ों में मकरूह है। क्यों कि अब फ़साद नुमाया है।



## हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने कंकरियां मार कर औरतों को मस्जिद से निकाला

उसी अ़ैनी जिल्द सोम में आपकी इबारते मनक़ूला से एक सफ़हा पहले है।

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ وَاَقْرَبُ مَا تَكُوْنُ اِلَى اللهِ فِيْ قَعْرِ بَيْتِهَا فَاِذَا

यानी हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु फ़रमाते! औरत सरापा शर्म की चीज़ है सबसे ज़्यादा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से क़रीब अपने घर की तह में होती है और जब

خرجت استشرفها الشيطان وكان ابن عمر رضى الله تعالى عنهما يقوم يحصب النساء يوم الجمعة يخرجهن من المسجد و كان ابراهيم يمنع نساءه الجمعة والجماعة

बाहर निकले शैतान उस पर निगाह डालता है और हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा जुमा के दिन खड़े होकर कंकरियां मार कर औरतों को मस्जिद से निकालते और इमाम इब्राहीम नख़ई ताबई उस्ताजुल उस्ताज़ इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी मस्तूरात को जुमा व जमाअ़त में न जाने देते।

जब उन ख़ैर के ज़मानों में, उन अ़ज़ीम .फ़ुयूज़ व बरकात के वक़्तों में औरतें मना कर दी गयीं, और काहे से? हुज़ूर मसाजिद व शिरकते जमाअ़त से! हालांकि दीने मतीन में उन दोनों की शदीद ताकीद है तो क्या इन अज़मन्हे शुरूर (ख़राबियों बुराइयों के ज़मानों में) इन क़लील या मौहूम .फ़ुयूज़ के हीले से औरतों को इजाज़त दी जाएगी? वह भी काहे की? ज़ियारते .क़ुबूर को जाने की! जो शरअ़न मुअक्कद नहीं और ख़ुसूसन इन मेलों ठेलों में जो ख़ुदा नातरसों ने मज़ाराते किराम पर निकाल रखे हैं, यह किस क़दर शरीअ़ते मुत्तहहरा से मुनाक़ज़त है (बाहम एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात करना) है।

## ख़राबी के असबाब को दूर करना अहम है

शरअ़ मुतह्हर का क़ाइदा है कि जलबे मसलिहत (ख़ूबी पैदा करने वाली चीज़ लाना, ख़ूबी का सबब हासिल करना) पर सलबे मुफ़सिदा (बुराई का सबब दूर करना) को मुक़द्दम रखती है।

درء المفاسد اهم من جلب المصالح

ख़राबी के असबाब दूर करना ख़राबी के असबाब लाने से अहम है।

जब कि मुफ़सिदा इससे बहुत कम था इस मसालिहते अ़ज़ीमा से अइम्मए दीन इमामे आज़म व साहिबैन[1] व मन बादहुम[2] ने रोक दिया और औरतों की मिस्लें न बनायें कि सालिहात जायें, फ़ासिक़ात न आयें बल्कि एक हुक्मे आम दिया जिसे आप एक फांसी में लटकाना फ़रमा रहे हैं। क्या उन्होंने यह आयतें न सुनी थीं।

ذرع المفاسد اهم من

तो क्या जो ईमान वाला है वह उस जैसा हो जायेगा जो बे हुक्म है।

या हम परहेज़गारों को शरीर बे हुक्मों के बराबर ठहरा दें।



तो अब के मुफ़सदा जब से बहुत अशद (सख़्त तर) है इस मसलिहते क़लील से रोकना क्यों न लाज़िम होगा और औरतों की क़िस्में क्यों कर छांटी जायेंगी।

सलाह व फ़सादे क़ल्ब अमरे मुज़मर (दिल की दुरुस्ती और ख़राबी पोशीदा चीज़ है) और दावे के लिये सबकी ज़बान कुशादा और मुहिक़्क़ो मुबतिल (हक़ वाला और बातिल) ना मालूम, लिहाज़ा

1. इमाम आज़म अबू हनीफा नोअमान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दो ख़ास शागिर्द हैं जो मसलके हनफी के इमाम भी हैं। इमाम क़ाज़ी अबू यूसुफ याक़ूब, इमाम मुहम्मद बिन अलहसन शैबानी। इमाम मुहम्मद ने इमाम अबू यूसुफ से भी इल्म हासिल किया है। इसलिए उनके उस्ताद इमामे आज़म और इमाम अबू यूसुफ दोनों हज़रत हैं जब इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद को एक साथ ज़िक्र करते हैं तो उन्हें साहिबैन कहते हैं कि यह दोनों हज़रत इमाम साहब के शागिर्द होने की निस्बत से आपस में साथी हैं और जब इमामे आज़म और इमाम अबू यूसुफ़ को एक साथ ज़िक्र करते हैं तो शैख़ैन कहते हैं। क्यों कि इमाम मुहम्मद की बनिस्बत यह दोनों हज़रात शैख़ और उस्ताद हैं– और जब इमामे आज़म और इमाम मुहम्मद को एक साथ ज़िक्र करते हैं तो तरफ़ैन कहते हैं। क्योंकि यह दोनों हज़रात इमाम अबू यूसुफ की बनिस्बते तरफ हैं।

इमाम अबू यूसुफ दर्मियानी हैसियत के हामिल हैं कि एक तरफ इमाम साहब के शागिर्द हैं तो दूसरी तरफ इमाम मुहम्मद के उस्ताद और इमामे आज़म दोनों हज़रात के लिहाज़ से उस्ताद ही हैं– और इमाम मुहम्मद दोनों हज़रात के लिहाज़ से शागिर्द ही हैं

2. और उन इमामों ने भी रोक दिया, जो उनके बाद हैं।

सलाह से फ़साद की तरफ़ इन्क़लाब कुछ दुशवार नहीं ख़ुसूसन हवा लगकर, ख़ुसूसन औरतों के दिल की तक़ल्लुब (के लिये इन्क़लाब व तक़ल्लुब, पलटना, फिर जाना) के लिये बहुत आमादा. व लिहाज़ा।

## अपने नफ़्स पर एतिमाद करने वाला अहमक़ है

رُوَيْدَكَ أَنْجَشَةُ رِفْقًا بِالْقَوَارِيْرِ

शीशियों के साथ नर्मी की ख़ातिर अन्ज़शा! सवारियां आहिस्ता चलाओ।

इर्शाद हुआ कि मर्द अपने नफ़्स पर एतिमाद करे अहमक़ है न कि औरत. नफ़्स तमाम जहान से बढ़कर झूठा है। जब क़सम खाये, हलफ़ उठाये, न कि जब ख़ाली वादों पर उम्मीद दिलाये।

وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا

और शैतान उन्हे वादे नहीं देता मगर फ़रेब के।

बिलख़ुसूस अबकि क़तअन फ़साद ग़ालिब और सलाह नादिर है इस सूरत में मुफ़्ती को तफ़सील (अलग–अलग करना) क्योंकर जाइज़, यह तफ़सील न होगी बल्कि शैतान को ढील और उसकी रस्सी ततवील (लम्बा करना, दराज़ करना)।

इमाम मुहक़्क़िक़ अलल इतलाक़ फ़तहुल क़दीर में फ़रमाते हैं

اَلْفَائِزُ بِهٰذَا مَعَ السَّلَامَةِ اَقَلُّ قَلِيْلٍ فَلَا يُبْنَى الْفِقْهُ بِاِعْتِبَارِهِمْ وَلَا يُذْكَرُ حَالُهُمْ قَيْدًا فِي الْجَوَازِ

बसलामत[1] इसे पाने और कामयाब होने वाले कम से कमतर हैं तो फ़िक़्ह की बुनियाद उनके एतबार पर न होगी न उनका हाल क़ैदे जवाज़ बना कर ज़िक्र होगा।

1. अल्लामा कमालुद्दीन इब्नुल हुमाम अलैहिर्रहमा की इबारत "हरमे पाक में सुकूनत" से मुतअल्लिक़ है। मक्का मुकर्रमा में नेकियों का अज्र बेपनाह है, मगर गुनाहों का वबाल भी बड़ा सख़्त है। हरमे पाक की ताज़ीम व तौक़ीर और अदब व एहतेराम भी वाजिब है और

لِاَنَّ شَانَ النُّفُوْسِ الدَّعْوٰى الْكَاذِبَةُ وَاِنَّهَا لَاَكْذَبُ مَا يَكُوْنُ اِذَا حَلَفَتْ فَكَيْفَ اِذَا ادَّعَتْ.

क्योंकि नफ़्स का काम ही झूटा दावा करना और यह सबसे बड़ा झूटा उस वक़्त होता है जब क़सम खाए तो जब यह महज़ दावा करे उस वक़्त क्या हाल होगा?

सादाते सलासा अल्लामा हलबी व अल्लामा तहतावी व अल्लामा शामी फ़रमाते हैं–

وَهُوَ وَجِيْهٌ فَيَنُصُّ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَيَتْرُكُ التَّقْلِيْدَ بِالتَّوْثِيْقِ-

और यह कलाम वजीह और उम्दा है तो साफ़ मकरूह होना कहा जाएगा और अपने ऊपर एतमाद की कैद (लगाकर गै़र–मकरूह बताना) छोड़ दिया जाएगा। (मुलख्खिस)[1]



किसी गुनाह का इरादा भी ख़तरनाक है। इन सबके पेशे नज़र उलमा को इसमें इख़्तिलाफ हुआ कि बैरूने हरम का आदमी अगर हरमे पाक में सुकूनत इख़्तियार करना चाहे तो क्या हुक्म है?— बाज़ शाफ़ईया ने बयान किया कि मुस्तहब है। अलबत्ता अगर गुनाह में पड़ने का ज़न्ने ग़ालिब हो तो नहीं। यही इमाम अबू यूसुफ़ व इमाम मुहम्मद का मज़हब है। इमामे आज़म और इमाम मालिक के नज़दीक मकरूह तहरीमी है— साहिबे फ़तहुल क़दीर ने अक़वाले अइम्मा व उलमा और अहादीस सवाब व उक़ाब लिखने के बाद फ़रमाया: हां अल्लाह के कुछ नेक बरगुज़ीदा मुख़लिस बन्दे ऐसे हैं जो सुकूनते हराम के अहल और हसनात और सलवात के इज़ाफ़ा की फ़ज़ीलत इस एहतियात के साथ हासिल करने वाले हैं कि उनसे कोई ऐसी बात न हो, जिससे उनकी नेकियां बरबाद हो जायें। इस इबारत के बाद फ़रमाया: मगर ऐसे लोग कम से कमतर हैं। अल्ख़

फ़ाज़िले बरेलवी अलैहिर्रहमा का इस इबारत से इस्तदलाल यह है कि फ़िक़्ही अहकाम में ग़ालिब व अक्सर का लिहाज़ होता है। क्योंकि दिल की अच्छाई–बुराई पोशीदा चीज़ है और नफ़्स जो सलाह व नेकी और ख़तरात को बसलामत उबूर कर लेने का मुद्दई हो सख़्त झूटा है।

2. साहिबे दुर्रे मुख़्तार अलाउद्दीन मुहम्मद बिन अली हसकफी ने फ़रमाया था (दुर्रे मुख़्तार जिल्द 1 सफ़हा 112 मतबअ़ नवल किशोर लाहौर) मदीना में सुकूनत इख़्तियार करना मकरूह नहीं यूंहीं मक्का में उसके लिए जो अपने नफ़्स पर भरोसा रखता हो। इसी इबारत के पेशे नज़र दुर्रे मुख़्तार के तीनों मुहश्शी उलमाए सादात ने फ़तहुल क़दीर की मज़कूरा बाला इबारत नक़ल करके फ़रमाया कि जब नफ़्स का यह हाल है तो उसका क्या

## नेक और बद में फ़र्क़ मुश्किल है

मुन्तक़ा शरहे मुल्तक़ा में है।

فَنَادِرٌ وَجِيهٌ فِيهِمْ
فَنَادِرٌ فِي هٰذَا الزَّمَانِ
فَلَا يُفْرَدُ بِحُكْمٍ لِحَرَجِ التَّمِيزِ
بَيْنَ الْمُصْلِحِ وَالْمُفْسِدِ۔

रहे[1] वह जो उनके बर ख़िलाफ़ हैं तो इस ज़माने में वह नादिर हैं लिहाज़ा उनके लिये कोई अलग हुक्म न होगा क्योंकि यह इम्तियाज़ करना दुशवार है कि मुसलेह कौन है और मुफ़सिद कौन?

शरहे लुबाब में है।

لَوْ كَانَتِ الْاَئِمَّةُ فِيْ زَمَانِنَا وَ
تَحَقَّقَ لَهُمْ شَانُنَا لَصَرَّحُوْا بِالْحُرْمَةِ

अगर अइम्मा[2] हमारे ज़माने में होते और हमारी हालत की उन्हें तहक़ीक़ हो जाती तो वह भी सराहतन हराम कहते।

भरोसा? लिहाज़ा सुकूनते हरम को साफ़–साफ़ मकरूह कहा जाएगा।

1. यह इबारत नफ़्क़ए तालिबे इल्म से मुतअल्लिक़ है। बाप पर नादार नाबालिग़ औलाद का नफ़्क़ा वाजिब है। यूं ही उन नाबालिग़ औलाद का जो कमाने से आजिज़ हों अगर कोई बालिग़ फ़रज़न्द ऐसा है, जो कमाने पर क़ादिर है। मगर तलबे इल्मे दीन में मश. गूल है तो उसका ख़र्च बाप पर वाजिब है या नहीं? बाज़ ने कहा वाजिब है और बाज़ ने कहा नहीं है। जिन उलमा ने वाजिब कहा उन्होंने यह क़ैद लगा दी है कि वजूब इस सूरत में है जब तालिबे इल्म फ़रज़न्दे नेक सीरत और वाक़ई तालिबे इल्म हो। वरना उसका नफ़्क़ा बाप पर वाजिब नहीं। साहिबे मुनिया व क़ुनिया व साहिबे मुन्तक़ा फ़रमाते हैं कि अक्सर तलबा रुश्दो सलाह वाले नहीं और हुक्म अक्सर ही के एतबार से होता है। लिहाज़ा मुतलक़न कहा जाएगा कि बाप पर तालिबे इल्म का नफ़्क़ा वाजिब नहीं फ़ाज़िले बरेलवी का इस्तदलाल बस इतने ही से है कि बएतबार अक्सर हुआ करता है। रहा यह कि दौरे हाज़िर में हुक्म क्या होना चाहिए? तो राक़िम के ख़्याल से इसमें तहक़ीक़ व तफ़सील की ज़रूरत है। क्योंकि अब तलबा की कई क़िस्में और मुख़्तलिफ़ हालतें हैं। यूं ही अब इल्मे दीन के हालाते ज़माना भी मुख़्तलिफ़ हैं।

2. मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह का यह इर्शाद उसी "जवारे हरम" के मसले से मुतअल्लिक़ है। सुकूनते हरमैन के बारे में फ़ाज़िले बरेलवी अलैहिर्रहमा का मुफ़स्सल अरबी रिसाला देखना चाहिए। यह फ़तावा रज़विया जिल्द चहारुम में शामिल है।

## औरतों के लिये ज़ियारते क़ुबूर की मुमानअ़त

ज़ियारते क़ुबूर पहले मुतलक़न ममनूअ थी फिर इजाज़त फ़रमाई। उलमा को इख़्तिलाफ़ हुआ कि औरतें भी इस रुख़सत में दाख़िल हुयीं या नहीं औरतों को ख़ास मुमानअ़त में हदीस।

لَعَنَ اللّٰهُ الزَّائِرَاتِ الْقُبُوْرِ अल्लाह क़ब्रों की ज़ियारत करने वालियों पर लानत करे।

से क़तअ़ नज़र करके तस्लीम कीजिये कि हाँ औरतों को भी शामिल हुई। मगर जिस क़दर अव्वल की औरतों को जिन में हुज़ूर मसाजिद व जुमा व ईदैन की इजाज़त बल्कि हुक्म था। जब ज़मानए फ़साद आया इन ज़रूरी ताकीदी हाज़िरियों से औरत को मुमानअ़त हो गयी तो उससे यक़ीनन बदर्जे औला।

उसी ग़ुनिया के उसी सफ़हा 595 में उसी आपकी इबारते मनक़ूला से पहले इसके मुत्तसिल है।

يَنْبَغِيْ اَنْ يَكُوْنَ التَّنْزِيْهُ مُخْتَصًّا بِزَمَنِهٖ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ كَانَ يُبَاحُ لَهُنَّ الْخُرُوْجُ لِلْمَسَاجِدِ وَالْاَعْيَادِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ وَاَنْ يَكُوْنَ فِيْ زَمَانِنَا لِلتَّحْرِيْمِ

मुमानअ़त का तन्ज़ीही होना हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के ज़माने से ख़ास होना चाहिये, जबकि औरतों के लिये मस्जिदों ईदों वग़ैरह में हाज़िर होना मुबाह था और हमारे ज़माने तो में तो तहरीमी होना मुनासिब है।

## नमाज़ के लिए औरतों का निकलना मकरूह है तो क़ब्रिस्तान जाने का क्या हाल होगा?

उसी ऐनी जिल्द चहारुम में आपकी इबारते मनक़ूला से चन्द सतरें पहले इमाम अबू उमर से है।

وَلَقَدْ كَرِهَ اَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ अकसर उलमा ने तो नमाज़ों के

خُرُوجِهِنَّ إِلَى الصَّلَوَاتِ فَكَيْفَ إِلَى الْمَقَابِرِ وَمَا أَظُنُّ سُقُوطَ فَرْضِ الْجُمُعَةِ عَنْهُنَّ إِلَّا دَلِيلًا عَلَى إِمْسَاكِهِنَّ عَنِ الْخُرُوجِ فِيمَا عَدَاهَا

लिए औरतों का निकलना मकरूह रखा, तो कब्रिस्तानों को जाने का क्या हाल होगा? मैं तो यही समझता हूँ कि औरतों से फ़र्ज़े जुमा साक़ित हो जाना इस बात की दलील है कि उन्हें इसके इलावा से भी रोका जाएगा।

हुक्मे कुतुब में तौफ़ीक़[1] बहुत वाज़ेह है जवाज़ नफ़्से मसला का फ़ी–ज़ातिही हुक्म है–

और मुमानअत ब वजहे आरिज़े ग़ालिब तो फ़तवा न होगा, मगर मना मुतलक़ पर, फ़िक़्ह में उसके नज़ाइर बकसरत हैं कि ब–रिआयते क़ुयूद हुक्मे जवाज़ और उसकी तसही तक कुतुब में मुसर्रह और नज़र बहाले ज़माना हुक्मे उलमा, मना मुतलक़न जैसे जवारे हरम[2] व दुख़ूले ज़नाँ[3] ब हम्माम व नफ़्क़ए तालिबे इल्म[1] व

---

1. ततबीक़: यह एक सवाल का जवाब है कि फ़िक़्ह की बाज़ किताबों में औरतों के लिए ज़ियारते क़ुबूर को जाइज़ बताया गया है और बाज़ में नाजाइज़, तो दोनों में मुताबक़त कैसे होगी? एक उमदा ततबीक़ तो नं. 13 के तहत आ रही है। यहां नं. 5 में यह फ़रमा रहे हैं कि ततबीक़ इस तरह है कि हालात व अवारिज़ से क़तअे नज़र ख़ुद मसलए ज़ियारते क़ब्र को देखिये तो ज़ियारत औरत के लिए जाइज़ है। लेकिन औरतों और ज़माना के हालात व अवारिज़ पर नज़र कीजिये तो नाजाइज़ है और यह अवारिज़ ऐसे हैं जो अक्सर व बेशतर पाये जाते हैं। शाज़ो नादिर उनसे महफ़ूज़ रहने की सूरत मिलती होगी। लिहाज़ा फ़िक़्ही हुक्म यह होगा कि औरतों के लिए सिवाए ज़ियारते रौज़ए अनवर के दिगर मज़ारात की हाज़री नाजाइज़ है। क्योंकि फ़िक़्ह का हुक्म अक्सर ही के लिहाज़ से होता है, इसकी बहुत सी मिसालें हैं कि फ़िक़्ही किताबों में ख़ास क़ैदों के साथ किसी अम्र का जाइज़ लिखा गया है और इस हुक्मे जवाज़ को अहले तस्हीह ने बाद की किताबों में सही व दुरुस्त भी बताया। मगर हालाते ज़माना देखकर उलमा ने इस अम्र से मुतलक़न मुमानअत फ़रमाई। मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने यहां उसकी चन्द मिसालें सराहतन गिनाई हैं।

2. जवारे हरम, हरम पाक में सुकूनत का हुक्म फ़तहुल क़दीर की इबारत से गुज़रा कि यह अक्सर लोगों के अहवाल की बुनियाद पर नाजाइज़ है। क्योंकि उमूमन ज़्यादा दिन रहने के बाद हरम की कमा हक़्क़हू ताज़ीम व तौक़ीर न कर पायेंगे ग़ाफ़िल होकर ख़ता

लइबे शतरन्ज[5] वग़ैरहा अव्वल व सोम की इबारात गुज़रीं दुर्रे मुख़्तार में दर बारहे दोम है। فِیْ زَمَانِنَا لَا شَكَّ فِی الْكَرَاهَةِ हमारे ज़माने में इसके मकरूह होने में कोई शुब्हा नहीं।

काफ़ी व जामेउर्रुमूज़ व रद्दुल मुहतार में दरबारहे अख़ीर है।

هُوَ حَرَامٌ وَّكَبِيرَةٌ عِنْدَنَا हमारे नज़दीक तो शतरंज खेलना हराम और गुनाहे कबीरा है और

भी कर बैठेंगे। नतीजतन सवाब ज़ाया गुनाह लाज़िम और मुल्ला अ़ली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने तो यह फ़रमाया कि अगर अइम्मए करीम हमारे ज़माने में होते और हमारा हाल उन पर खुलता तो यह तमाम हज़रात बिला इख़्तिलाफ़ सुकूनते हरम को साफ़–साफ़ हराम कहते।



3. शहरों में आम लोगों के नहाने के लिए गर्म पानी वग़ैरह के इन्तज़ाम के साथ मकानात बने होते हैं। जिन्हें हम्माम कहते हैं, उन्हीं हम्मामों में औरतों का नहाना नाजाइज़ कहा गया क्योंकि वहां बे–पर्दगी का लाज़मी अन्देशा बल्कि अक्सर वक़ूअ है। यहां भी अक्सर ही के लिहाज से आम हुक्म कर दिया गया है। इस बारे में आगे दुर्रे मुख़्तार की इबारत है।

4. नफ़क़ए तालिबे इल्म—— बाप पर बालिग़ तालिबे इल्म फरज़न्द का नफ़क़ा वाजिब है या नहीं? इससे मुतअल्लिक दुर्रे मुन्तका की इबारत गुज़री जिसमें अक्सर ही के हालात की बुनियाद पर हुक्म जारी किया गया।

5. शतरंज खेलना बाज़ लोगों ने इस लिहाज़ से इसको जाइज़ कहा कि इससे बारीक–बीनी व दूर–अन्देशी पैदा होती है। जंगी दांव समझने और चलाने में मदद मिलती है यह हुक्म भी इस शर्त व क़ैद के साथ कि उसमें हार–जीत न हो, कोई नमाज़ वक़्त से मुअख़्ख़र न हो, फ़ुहश गोई और किसी ममनूअ चीज़ का इरतिकाब न हो, हमारे अइम्मए किराम ने अहादीसे करीम और हालाते अक्सर के पेशे नज़र यही हुक्म दिया कि शतरंज खेलना मुतलक़न हराम और गुनाहे कबीरा है। फ़ाज़िले बरेलवी क़ुद्दिसा सिर्रहू ने इससे मुतअल्लिक़ काफ़ी, जामउर्रुमूज़ और रद्दुल मुहतार की इबारत पेश की।

*हासिले कलाम* यह कि हुक्मे फ़िक़्ह बएतेबार अक्सर होता है और जहां औरतों के लिए ज़ियारते क़ुबूर को जाइज़ कहा गया है तो अक्सर हालात व अवारिज़ के पेशे नज़र नहीं। बल्कि सिर्फ़ इस पर नज़र करते हुए कि क़ब्रों की ज़ियारत अच्छी चीज़ है। दुनिया से बेरग़बत करती है, आख़िरत को याद दिलाती है, यह इन क़ैदों के साथ कि बे सब्री आह व ज़ारी वग़ैरह ममनूआत का इरतिकाब न करें—— और जहां नाजाइज़ कहा गया तो ज़माना और औरतों के उमूमी हालात पर नज़र करते हुए फ़िक़्ही हुक्म अक्सर ही के लिहाज़ से होता है तो फ़तवा इसी पर होगा कि औरतों के लिए ज़ियारते क़ुबूर को जाना मुतलक़न नाजाइज़ है।

وَفِیْ اِبَاحَتِہٖ اِعَانَۃُ الشَّیْطَانِ عَلَی الْاِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِیْنَ

उसे जाइज़ रखने में शैतान को इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ मदद देना है।

## फ़क़ीह का हुक्म ग़ालिब के एतिबार पर होता है

इस तक़रीर से उसका जवाब वाज़ेह हो गया कि अगरचे ऐसी औरत हज़ारों में एक हो, जैसी हज़ारों में हज़ार हों जब भी मोअ़तबर नहीं कि हुक्मे फ़िक़्ह ब–एतिबारे ग़ालिब (अक्सर) के होता है, न कि हज़ारों में एक यहीं से बिरयानियों का हॉल खुल गया। दस हज़ार बिरयानियाँ मुरदार मेंढे, दुम्बे, बकरे की हों और उन में दस हज़ार उन मज़बूह (शरअ़ी तौर पर ज़बह किया हुआ) जानवरों की मुख़तलत (एक दूसरे से मिला हुआ ख़ल्त मल्त) हों बीस हज़ार हराम हैं। यहाँ तक कि इन में तहर्री (अपने दिल की राय मालूम करना कि किसी दो या चन्द में मुनासिब व लाइक़ और दुरुस्त क्या है।) करके जिसकी तरफ़ हिल्लत का ख़्याल जमे उसे खाना भी हराम न कि दस हज़ार में एक—– दुर्रे मुख़्तार में है।

تُعْتَبَرُ الْغَلَبَۃُ فِیْ اَوَانٍ طَاہِرَۃٍ وَّنَجِسَۃٍ وَّمَیْتَۃٍ وَذَکِیَّۃٍ فَاِنِ الْاَغْلَبُ طَاہِرًا تَحَرّٰی وَبِالْعَکْسِ وَالسَّوَآءِ لَا۔

पाक व नापाक बर्तनों और मुर्दार व मज़बूह जानवरों में ग़ल्बा का एतिबार किया जायेगा। अगर अक्सर पाक हों तो तहर्री करे और जिधर दिल जमे कि यह पाक है उसे इस्तेमाल करे। लेकिन अगर अक्सर नापाक हों या दोनों बराबर हों तो तहर्री न करे। क्योंकि इन दोनों सूरतों में सब नापाक क़रार दिये जायेंगे।

हाँ ! एक हलाल जुदा मुमताज़ मालूम हो तो कसरते हराम

से उस पर क्या असर, मगर यहाँ[1] सुन चुके कि फ़साद व सलाह क़ल्बे मुज़मर व तमीज़ मुतअज़्ज़र ना मुयस्सर, दुर्रे मुन्तक़ा की इबारत अभी गुज़री, फिर ग़ल्बए फ़साद मुतयक़्क़न तो क़तअ़न मुतलक़न हुक्मे मुमानअ़त मुतअय्यन जैसे वह बीसों हज़ार बिरयानियाँ सब हराम हुई। हॉलाकि उनमें यक़ीकन दस हज़ार हलाल थीं। यही मसलक उलमाए किराम चले।

अ़ैनी शरहे बुख़ारी जिल्द सोम की इबारत आपने नक़ल की उसमें[2] न ज़नाने मिस्र से हुक्म ख़ास है न मुग़न्निया व दल्लाला की तख़सीस इसमें सोलह सिनफ़े फ़सादे ज़नाँ बयान कीं जिनमें दो यह हैं, और फ़रमाया और इसके सिवा और बहुत से असनाफ़ क़वाइदे शरीअ़त के ख़िलाफ़।



1. यहां यह हाल नहीं कि किसी एक का अन्देशए फ़ितना मामून व महफ़ूज़ होना क़तई तौर पर मालूम हो, यहां तो सारी औरतों के बारे में कलाम है किसके दिल में क्या है कुछ पता नहीं, दिल की अच्छाई बुराई तो पोशीदा चीज़ है और इम्तियाज मुश्किल व दुशवार तो यहां इस चीज पर कियास कैसे हो सकता है जिसका अलग मुम्ताज़ तौर पर हलाल होना क़तअ़न मालूम है——फिर जब अक्सर औरतों में फसाद व खराबी का होना यकीनी है तो उसूले शरीअत के मुताबिक मुमानअ़त ही मुतअय्यन है। जैसे दस हज़ार बिरयानियों में दस हज़ार नापाक बिरयानियां मिल जायें और पता न चले कि कौन पाक है, कौन नापाक है, तो बीसों हज़ार हराम।

2. फाज़िल साइल ने अल्लामा महमूद अ़ैनी हनफी की किताब उमदतुल कारी शरह बुखारी की एक इबारत नक़ल करके यह इस्तदलाल करना चाहा था कि मुमानअत सिर्फ़ फ़ासिक़ा औरतों के लिए, सब के लिए नहीं——इमाम अहमद रज़ाअलैहिर्रहमा उसके जवाब में फ़रमा रहे हैं कि अ़ैनी में मुमानअ़त फ़ासिक़ा औरतों के साथ ख़ास नहीं की है। अपनी नक़ल की हुई इबारत से एक सफ़हा पहले देखिये जहां इन्होंने हुक्मे मसला बयान किया है वहां सभी औरतों के लिए मुमानअ़त लिखी है और बताया है कि मुमानअ़त की वजह यही फ़ितने का अन्देशा है, यह नहीं कि बदकारी व फ़ितना वाक़ेअ़ हो, जभी मुमानअ़त हो——और आपने अल्लामा अ़ैनी की जो इबारत नक़ल की है उसमें तो फ़साद व ख़राबी के लिहाज से औरतों की सोलह किस्मों का बयान है। जिनमें मुग़निया (गाने वाली) और दल्लाला (दर्मियानी बनकर दो में बुराई या बुराई का राबता पैदा करने वाली है) फिर बयान किया है कि इनके इलावा और भी खिलाफ़े शरअ़ किस्में हैं। आपकी मनक़ूला इबारत में यह कहां है कि मुमानअ़त सिर्फ़ इन्हीं फ़ितना–गर और फ़साद वाली औरतों के लिए ख़ास है।

## हन्फ़ी उलमा ने हुक्म मुतलक़ रखा है न कि फ़साद फ़ितना बरपा करने वाली औरतों के साथ खा़स

और बताया कि उम्मुल मुमेनीन अपने ही ज़माना की औरतों को फ़रमाती हैं कि उनमें बाज़ उमूर हादिस हुए, काश इन हादसात को देखतीं कि जब उनका हज़ारवाँ हिस्सा न थे। अपनी इबारते मनक़ूला से एक ही वरक पहले देखिये जहाँ उन्होंने अपने अइम्मए हनफ़िया रज़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम का मज़हब नक़ल फ़रमाया है कि हुक्म मुतलक़ रखा है, न कि ज़नाने फ़ितना–गर से ख़ास और उसकी इल्लत ख़ौफ़े फ़ितना बताई है न कि ख़ास वक़ूअ़ यही बि अ़ैनेही नस्से हिदाया है।

يُكْرَهُ لَهُنَّ حُضُوْرُ الْجَمَاعَةِ يَعْنِى الشَّوَابَّ مِنْهُنَّ لِمَا فِيْهِ مِنْ خَوْفِ الْفِتْنَةِ

औरतों के लिये जमाअ़त की हाज़िरी मकरूह है। यानी जवान औरतों के लिये क्योंकि उसमें फ़ितने का अन्देशा है।

हाँ! जिन से वक़ूअ़ हो रहा है, जैसे ज़नाने मिस्र उनके लिये हराम ब दर्जए औला बताया है कि जब ख़ौफ़े फ़ितना पर हमारे अइम्मा मुतलक़न हुक्मे हुर्मत फ़रमा चुके तो जहाँ फ़ितने पूरे हैं। वहाँ का क्या ज़िक्र?

## औरत के लिए जमाअ़त में शमूलियत मकरूह है

इबारते अ़ैनी यह है–

قَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ يُكْرَهُ

साहिबे हिदाया ने फ़रमाया औरतों के लिए 'जमाअ़तों' की हाज़िरी

---

اَقُوْلُ لَا بَلْ هُوَ نَفْسُ نَصِّ الْهِدَايَةِ كَمَا سَمِعْتَ ١٢ منه غفرله

मैं कहता हूं, यह बाज़ शारेहीन का कौल नहीं, बलिक ख़ुद हिदाया ही की इबारत है जैसा कि सुन चुके।

मकरूह है। उस पर बाज़ शारेहीन ने कहा यानी जवान औरतों के लिए, मुसन्निफ़ का कौल जमाअतों, जुमा, ईदैन, कुसूफ़ इस्तिसका सबको शामिल है। इमाम शाफ़ई से मरवी है कि औरतों के लिये जमाअत में आना जाइज़ है। हमारे लोगों ने कराहत की दलील यह दी है कि औरतों के निकलने में फ़ितने का अन्देशा है और यह निकलना एक हराम काम का सबब है और जो काम हराम तक पहुँचाने वाला हो वह हराम ही है इसके पेशे नज़र 'मकरूह' से हमारे उलमाए किराम कि मुराद "हराम" ख़ास कर इस ज़माने में इसलिये कि अब अहले ज़माना में फ़साद और बुराई आम है।

لَهُنَّ حُضُورُ الْجَمَاعَاتِ قَالَتْ
شُرَّاحٌ يَعْنِي الشَّوَابَّ فِيهِنَّ
وَقَوْلُهُ الْجَمَاعَاتِ يَتَنَاوَلُ
الْجُمَعَ وَالْأَعْيَادَ وَالْكُسُوفَ
وَالْاِسْتِسْقَاءَ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ
يُبَاحُ لَهُنَّ الْخُرُوجُ قَالَ أَصْحَابُنَا
لِأَنَّ فِي خُرُوجِهِنَّ خَوْفَ
الْفِتْنَةِ وَهُوَ سَبَبٌ لِلْحَرَامِ وَ
مَا يُفْضِي إِلَى الْحَرَامِ حَرَامٌ فَعَلَى
هٰذَا قَوْلُهُمْ يُكْرَهُ مُرَادُهُمْ
يَحْرُمُ لَا سِيَّمَا فِي هٰذَا الزَّمَانِ
لِشُيُوعِ الْفَسَادِ فِي أَهْلِهِ۔

फिर उसी सफ़हा पर अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा का जुमा के दिन औरतों को कंकरियाँ मारकर मस्जिद से निकालना और इमामे अजल इब्राहिम नख़ई ताबई का अपने यहाँ कि मस्तूरात को जुमा व जमाअ़त में न जाने देना ज़िक्र किया *कमा त–कद–द–म* इनाया से गुज़रा कि अमीरूल मुमेनीन फ़ारूके आज़म ने औरतों को हुज़ूरे मस्जिद से मना फ़रमाया।

## औरतों के लिए ज़ियारते क़ुबूर की मुमानअ़त अहम है

क्या मदीना तय्यबा की वह बीबीयाँ कि सहाबियात व ताबईयात थीं और उन इमामे अजल्ल ताबई की मस्तूरात मआज़ अल्लाह फ़ितना–गर व अहले फसाद थीं ? हाशा हरगिज़ नहीं *या लल ह–जब*! अगर सहाबा व ताबईन किराम को भी कहा जाये कि सबको एक लकड़ी हाँका और मुत्तक़ीन व फ़ुज्जार (परहेज़गारों, फ़ाजिरों, बद अ़मलों) का फ़र्क़ नहीं किया हाशा सुम्मा हाशाहुम तो साबित हुआ कि मना आम है। सिर्फ़ फ़ासिक़ात से ख़ास नहीं और उनका ख़ुसूसन ज़िक्र फ़रमाकर ज़नाने मिस्र के ख़साइल गिनाना इसलिये है कि उन पर बदर्जए औला हराम है, न कि फ़क़त फ़ितना उठाने वालियों को मुमानअ़त है, या वह भी सिर्फ़ मुग़न्निया व दल्लाला को।

उसी ने आपकी मनक़ूला इबारते अ़ैनी जिल्द चहारुम का मतलब वाज़ेह कर दिया कि हुक्म यह बयान फ़रमाया कि अब ज़ियारते क़ुबूर औरतों को मकरूह ही नहीं, बल्कि हराम है। यह न फ़रमाया कि वैसी को हराम है, ऐसी को हलाल है, वैसी को तो पहले भी हराम था, इस ज़माना की क्या तख़सीस आगे फ़रमाया ख़ुसूसन ज़नाने मिस्र और उसकी तअ़लील (इल्लत बताई, सबब बयान किया) कि उनका ख़ुरूज (निकलना) बर वजहे फ़ितना है। यह वही तहरीम की वजह है, न की हुक्म वक़ूअ़े फ़ितना से ख़ास और फ़ितना–गर औरतों से मख़सूस, हाँ! यह मसलक शाफ़ईया का है। अभी इमाम अ़ैनी से सुन चुके कि عن الشافعي يباح لهن الخروج व लिहाज़ा किरमानी फिर असकलानी फिर कस्तलानी कि सब शाफ़ईया हैं। शुरूहे बुख़ारी में इस तरफ़ गये। किरमानी ने क़ौले इमाम तय्यमी कि इस हदीस में फ़सादे बाज़ ज़नान के सबब

से औरतों की मुमानअत पर दलील है नक़ल करके कहा–

قُلْتُ الَّذِی یُعَوَّلُ عَلَیْهِ مَا قُلْنَا وَلَمْ یَحْدُثِ الْفَسَادُ فِی الْکُلِّ

मैंने कहा मुअतमद वही है। जो हमने बयान किया, सब औरतों में ख़राबी नहीं पैदा हुई है।

उनके इस ख़्याल के दो शाफ़ी[1] जवाब गुज़रे और तीसरा[2] सबसे आला बे–इज़्नेहि तआला अनक़रीब आता है इमाम ऐनी ने यहाँ उससे तअर्रुज़ (छेड़ना, पेश आना) न फ़रमाया कि इसी हदीस के नीचे डेढ़ ही वरक़ पहले अपने मज़हब और अपने अइम्मा का इर्शाद बता चुके।

## ज़ियारते क़ुबूर की औरतों को उस वक़्त इजाज़त थी जब मस्जिद में उनका जाना मुबाह था

इबारत ग़ुनिया कि आपने नक़ल की उससे ऊपर की सतर

---

1 व 2. एक जवाब तो यह कि दिल की सलाह व फसाद पोशीदा चीज़ है। क्या पता किसके दिल में सलाह व दुरुस्ती है, फसाद नहीं, और किस में फसाद व ख़राबी है सलाह नहीं। दूसरा जवाब यह कि हज़रत फ़ारुक़े आज़म हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर और एक जलीलुल क़द्र ताबई रज़ियल्लाहु तआल अन्हुम ने अपने ज़माना और अपने घर की औरतों को रोका। जब दौरे सहाबा और ताबईन में हालत बदल गई और औरतों को रोका गया तो क्या इस ज़माने की औरतें उन ज़मानों की ख़्वातीन से बेहतर हैं कि उनसे अन्देशा था, इनसे अन्देशा नहीं। जब वह रोकी गयीं तो इन्हें तो बदर्जए औला रोका जाएगा—तीसरा जवाब यह आ रहा है कि हमने माना कि औरत सालिहा व पारसा है उससे अन्देशए फितना नहीं मगर फितना यहीं तक महदूद नहीं। फितना एक और है जो इससे भी सख़्त है। फासिकों, बदकारों की तरफ से औरत पर फितने का अन्देशा है (जैसा कि इस ज़माना में तजर्बा व रोज़मर्रा है) यहां औरत की नेकी और पारसाई क्या काम देगी? इस फितने का क्या इलाज? बहरहाल औरत से अन्देशा हो या औरत पर अन्देशा हो दोनों खतरनाक हैं। लिहाज़ा मुमानअत ज़रूर होगी, काश अगर औरतें अहकामे इस्लाम पर अमल पैरा होकर अन्दरूने ख़ाना रहकर अपनी पाक दामनी महफ़ूज़ रखतीं तो बदमाशों, आवारा–गर्दों को इस्मत–दरी और ज़ुल्म व सितम के यह मवाक़े फराहम न होते जिन पर आज बार–बार एहतिजाज हो रहा है और कोई हल नज़र नहीं आता ख़ुद औरतें अपने को इस्लामी शरीअत के दाइरे में रखें तो बड़ी हद तक अमान और बहुत से फित्नों का सद्दे बाब हो जाये वरना इस्लामी शरीअत के अहकाम ठुकराने का अंजाम और भी अफसोसनाक हो सकता है ख़ुदा हिदायत दे और हिफाज़त फरमाये। आमीन०

देखिये कि इजाज़त उस वक़्त थी जब उन्हें मस्जिदों में जाना मुबाह था अब मस्जिदों की मुमानअत देखिये सबको है या ज़नाने फ़ितना–गर को? उसके सात सतर बाद की इबारत देखिये।

يَعْضُدُهُ الْمَعْنَى الْحَادِثُ
بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ الَّذِىْ بِسَبَبِهٖ
كُرِهَ لَهُنَّ حُضُوْرُ الْجُمَعِ وَالْجَمَاعَاتِ
الَّذِىْ اَشَارَتْ اِلَيْهِ عَائِشَةُ
رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا بِقَوْلِهَا لَوْ اَنَّ
رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ رَاٰى مَا اَحْدَثَ النِّسَآءُ
بَعْدَهٗ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَآءُ
بَنِىْ اِسْرَآئِيْلَ وَاِذَا قَالَتْ عَائِشَةُ
رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا هٰذَا عَنْ
نِسَآءِ زَمَانِهَا فَمَا ظَنُّكَ بِنِسَآءِ زَمَانِنَا

इसकी ताईद तबदीलीए ज़माना से पैदा होने वाला वह मानी कर रहा है जिसके सबब औरतों के लिये जुमा व जमाअत की हाज़िरी मकरूह हुई, जिस की तरफ़ हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने इस फरमान से इशारा किया कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यह हालत देखते जो औरतों ने उनके बाद पैदा कर ली है तो उन्हें रोक देते जैसे बनी इस्राईल की औरतें रोक दी गयीं जब आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने ज़माने की औरतों के बारें में यह फ़रमा रही हैं, तो हमारे ज़माने की औरतों का क्या हाल होगा?



देखिये इसी मनअ़े मसाजिद से सनद[1] ली, जिसका हुक्म आम है तो لِمَا فِىْ خُرُوْجِهِنَّ مِنَ الْفَسَادِ से फ़सादे बाज़ (कुछ) ही मुराद और इसी से मनअ़े कुल मुस्तफ़ाद न कि सिर्फ़ फ़साद वालियों

1व 2. फ़ाज़िल साइल ने गुनियतुल मुस्तमिली की इबारत नक़्ल करके इससे भी इस्तदलाल करना चाहा था। इमाम अहमद रज़ा अलैहिर्रहमा ने साइल को उससे आगे पीछे की इबारत दिखाई और बताया कि साहिबे गुनिया ने उस वक़्त की इजाज़त बायान की है, जब औरतों के लिए मस्जिद की हाज़िरी जाइज़ थी। मगर अपने ज़माने के लिए तो वह भी औरतों ज़ियारते क़ुबूर को जाना, नाजाइज़ मानते हैं और दलील में यही पेशकरते

पर कसरे इर्शाद –

## क़ब्रों पर जाने वाली औरत मुस्तहिक़्के लानत है

.ग़ुनिया ने (इन दोनों इबारतों के बीच में आपकी इबारत मन क़ूल करदा मुत्तसिल ब--हवाला तातार ख़ानिया था) यह शअ़बी से जो कुछ नक़ल फ़रमाया वह भी मुलाहज़ा हो।

سُئِلَ الْقَاضِیْ عَنْ جَوَازِ خُرُوْجِ النِّسَاءِ اِلَی الْمَقَابِرِ قَالَ لَا یُسْئَلُ عَنِ الْجَوَازِ وَالْفَسَادِ فِیْ مِثْلِ ھٰذَا وَاِنَّمَا یُسْئَلُ عَنْ مِقْدَارِ مَا یَلْحَقُھَا مِنَ اللَّعْنِ فِیْھَا وَاعْلَمْ اَنَّھَا کُلَّمَا قَصَدَتِ الْخُرُوْجَ کَانَتْ فِیْ لَعْنَةِ اللّٰہِ وَمَلٰئِکَتِہٖ وَاِذَا خَرَجَتْ تَحُفُّھَا الشَّیَاطِیْنُ مِنْ کُلِّ جَانِبٍ وَاِذَا اَتَتِ الْقُبُوْرَ یَلْعَنُھَا رُوْحُ الْمَیِّتِ وَاِذَا رَجَعَتْ کَانَتْ فِیْ لَعْنَةِ اللّٰہِ

यानी इमाम क़ाज़ी से इस्तिफ़सार हुआ कि औरतों का मक़ाबिर को जाना जाइज़ है या नहीं? फ़रमाया ऐसी जगह जवाज़ व अ़दमे जवाज़ नहीं पूछते, यह पूछो कि उसमें औरत पर कितनी लानत पड़ती है। जब घर से .क़ुबूर की तरफ़ चलने का इरादा करती है अल्लाह और फ़रिश्तों की लानत में होती है। जब घर से बाहर निकलती है सब तरफ़ों से शैतान उसे घेर लेते हैं। जब क़ब्र तक पहुँचती है मय्यत की रूह उस पर लानत करती है। जब वापस आती है अल्लाह की लानत में होती है।

---

है कि औरतों को मस्जिद की हाज़िरी से मुमानअत हुई तो क़ब्रों की हाज़िरी से भी मुमानअत होगी। --- अब देखिये कि मसाजिद की हाज़िरी से मुमानअत सबके लिए है या बाज़ के लिए? जब मस्जिदों की हाज़िरी से मुमानअत सबके लिए है तो क़ब्रों की हाज़िरी से मुमानअत भी सबके लिए होगी—अब आप अपनी मनक़ूला इबारत पर ग़ौर कीजिये। इबातर यह है (क्योंकि इन औरतों के निकलने में खराबी है) ज़ाहिर है कि यह फसाद व ख़राबी दुनिया की तमाम औरतों में नहीं, सिर्फ़ बाज़ में है— तो मालूम हुआ कि साहिबे .ग़ुनिया फ़सादे बाज़ ही के सबब सबकी हाज़िरीए क़ब्र की मुमानअत भी सबके लिए होगी—ऐसा नहीं कि उनका इर्शाद सिर्फ़ फ़साद वालियों पर महदूद है।

मुलाहज़ा हो इस्तिफ़ता क्या ख़ास फ़ासिक़ात के बारे में था? मुतलक़ औरतों के क़ब्रों को जाने का सवाल था। उसका यह जवाब मिला, इस जवाब में कहीं फ़ासिक़ात की तख़सीस है? ग़रज़ यह तमाम इबारात जिन से आपने इस्तिदलाल फ़रमाया आपकी नकीज़े मुद्दआ में नस हैं।

यहाँ एक नुक्ता और है जिससे औरतों की क़िस्में बनाने उनकी सलाह व फ़साद पर नज़र करने के कोई मानी ही नहीं रहते और क़तअन हुक्म सबको आम हो जाता है अगरचे कैसी सालेहा पारसा हो फ़ितना वही नहीं कि औरत के दिल से पैदा हो वह भी है, और सख़्त–तर है। जिसका फ़ुस्साक़ से औरत पर अन्देशा हो, यहाँ औरत की सलाह क्या काम देगी?



## हज़रत ज़ुबेर ने अपनी ज़ौजा को मस्जिदे नबवी में जाने से रोक दिया

हज़रत सय्यदना ज़ुबेर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी ज़ौजा मुक़द्दसा, सालिहा, आबिदा, ज़ाहिदा, तक़िया, नक़िया, हज़रत आतिका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को इसी माना पर अमली तौर से मोतनब्बह करके हाज़िरीए मस्जिदे करीम मदीना तय्यबा से बाज़ रखा, उन पाक बीबी को मस्जिदे करीम से इश्क़ था, पहले अमीरूल मुमेनीन उमर फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के निकाह में आयीं कब्ले निकाह अमीरूल मुमेनीन से शर्त करा ली कि मुझे मस्जिद से न रोकें। उस ज़मानए खैर में महज़ औरतों को मुमानअत क़तई जज़्मी न थी जिसके सबब बीबीयों से हाज़िरीए मस्जिद और गाह–गाह ज़ियारते बाज़ मज़ारात भी मनक़ूल, सहीहैन में हज़रत उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से है।

نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا۔

हमें जनाज़ों के पीछे जाने से मना फ़रमाया गया मगर क़तई मुमानअत नहीं थी।

उसी पर ग़ुनिया की इस इबारत में फ़रमाया कि यह उस वक़्त था जब हाज़िरीए मस्जिद उन्हें जाइज़ थी। अब हराम और क़तई ममनूअ है। ग़रज़ इस वजह से अमीरूल मुमेनीन ने उनकी शर्त क़ुबूल फ़रमा ली, फिर भी चाहते यही थे कि यह मस्जिद न जायें। यह कहतीं आप मना फ़रमा दें मैं न जाऊंगी। अमीरूल मुमेनीन ब पाबन्दीए शर्त मना न फ़रमाते, अमीरूल मुमेनीन के बाद हज़रत ज़ुबेर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से निकाह हुआ, मना फ़रमाते वह न मानतीं, एक रोज़ उन्होंने यह तदबीर की कि इशा के वक़्त अंधेरी रात में उनके जाने से पहले राह में किसी दरवाज़े में छुप रहे, जब यह आयीं, उस दरवाजे से आगे बढ़ीं थीं कि उन्होंने निकल कर पीछे से उनके सरे मुबारक पर हाथ मारा और छुप रहे हज़रत आतिका ने कहा–

اِنَّا لِلّٰهِ، فَسَدَ النَّاسُ — हम अल्लाह के लिये हैं, लोगों में फ़साद आ गया।

यह फ़रमा कर मकान को वापस आयीं और फिर जनाज़ा ही निकला तो हज़रत ज़ुबेर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें यह तम्बीह फ़रमाई कि औरत कैसी ही सालेहा हो उसकी तरफ़ से अन्देशा न सही फ़ासिक़ मर्दों की तरफ़ से उस पर ख़ौफ़ का क्या इलाज?

## यह मुमानअत रफ़ए शर के लिये है

अब यह सबको एक फाँसी पर लटकाना हुआ, या मुक़द्दस पाक दामनों की इज़्ज़त को शरीरों के शर से बचाना? हमारे अइम्मा ने दोनों इल्लतें इर्शाद फ़रमायीं इर्शादे हिदाया لِمَا فِيهِ مِنْ दोनों को शामिल है, औरत से ख़ौफ़ हो या औरत पर ख़ौफ़ हो और आगे इल्लते दोम की तसरीह फ़रमायी कि – خَوْفُ الْفِتْنَةِ

لَا بَاسَ لِلْعَجُوْزِ اَنْ تَخْرُجَ — फ़ज्र, मग़रिब और इशा के अन्दर बुढ़िया को आने में हर्ज नहीं और

فِی الْفَجْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَا یَخْرُجْنَ فِی الصَّلَوٰتِ کُلِّھَا لِاَنَّہٗ لَا فِتْنَۃَ لِقِلَّۃِ الرَّغْبَۃِ اِلَیْھَا وَلَہٗ اَنَّ فَرْطَ الشَّبَقِ حَامِلٌ فَتَقَعُ الْفِتْنَۃُ غَیْرَ اَنَّ الْفُسَّاقَ اِنْتِشَارُھُمْ فِی الظُّھْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْجُمُعَۃِ

इमाम अबू यूसुफ व इमाम मुहम्मद कहते हैं कि बुढ़िया तमाम नमाज़ों में हाज़िर हो इसलिए कि उसके निकलने में फ़ितना नहीं क्योंकि उसकी तरफ़ रग़बत कम होती है। इमाम आज़म की दलील यह है कि ज़्यादतीए शहवत यहां बर अंगेख़्ता करती है, तो फ़ितना वाक़ेअ़ हो जायेगा। हाँ यह कि फ़ुस्साक़ व ऊबाश ज़ुहर, अस्र और जुमा के अवक़ात में इधर–उधर फैले रहते हैं तो उन ही अवक़ात में बुढ़िया के लिये मुमानअ़त हुई।

## ग़ल्बए फ़साद के पेशे नज़र जमाअ़त में औरत की शिरकत मना है

मुहक़्क़िक़े अ़लल इतलाक़ ने फ़तहुल क़दीर में फ़रमाया–

بِالنَّظَرِ اِلَی التَّعْلِیْلِ الْمَذْکُوْرِ مُنِعَتْ غَیْرُ الْمُزَیَّنَۃِ اَیْضًا لِغَلَبَۃِ الْفُسَّاقِ وَلَیْلًا وَّاِنْ کَانَ النَّصُّ یُبِیْحُہٗ لِاَنَّ الْفُسَّاقَ فِیْ زَمَانِنَا اَکْثَرُ اِنْتِشَارِھِمْ وَتَعَرُّضِھِمْ بِاللَّیْلِ وَعَمَّمَ

दलीले मज़कूर के पेशे नज़र ऐसी औरत को भी रोका गया जो ख़ुद बदकार नहीं क्योंकि बदमाशों का ग़ल्बा है और रात को भी मुमानअ़त है अगरचे नस्से इमाम से इसका जवाज़ साबित होता है। इसलिए कि हमारे ज़माने में फ़ासिक़ों बदकारों की चलत फिरत और छेड़–छाड़ ज़्यादातर रात ही को होती है और बाद के उलमा

الْمُتَاَخِّرُوْنَ الْمَنْعَ لِلْعَجَائِزِ وَالشَّوَابِّ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا لِغَلَبَةِ الْفَسَادِ فِي سَائِرِ الْاَوْقَاتِ

ने तो बूढ़ियों, जवानों सबके लिये तमाम नमाज़ों में आम मुमानअ़त कर दी है क्योंकि अब तमाम अवक़ात में फ़साद व ख़राबी का ग़ल्बा है।

इस मज़मून की इबारत जमा की जायें तो एक किताब हो ख़ुद उसी उम्दतुल क़ारी जिल्द सोम में अपनी इबारते मनक़ूला से सवा सफ़हा पहले देखिए।

فِيْهِ (اَيْ فِي الْحَدِيْثِ) اَنَّهُ يَنْبَغِيْ (اَيْ لِلزَّوْجِ) اَنْ يَّاْذَنَ لَهَا وَ لَا يَمْنَعُهَا مِمَّا فِيْهِ مَنْفَعَتُهَا وَذٰلِكَ اِذَا لَمْ يَخَفِ الْفِتْنَةَ اِلَيْهَا وَلَا بِهَا وَ قَدْ كَانَ هُوَ الْاَغْلَبَ فِيْ ذٰلِكَ الزَّمَانِ بِخِلَافِ زَمَانِنَا هٰذَا فَاِنَّ الْفَسَادَ فِيْهِ فَاشٍ وَالْمُفْسِدُوْنَ كَثِيْرُوْنَ وَحَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا يَدُلُّ عَلٰى هٰذَا

हदीस में है कि शौहर को चाहिये कि औरत को इजाज़त दे दे और उसे ऐसे काम से न रोके जिसमें उसका फ़ाइदा है। यह हुक्म उस हालत में है जब कि औरत से और औरत पर फ़ितने का अन्देशा न हो और सरकार के मुबारक ज़माना में ऐसा ही था बख़िलाफ़ हमारे ज़माना के कि इसमें बुराई फैली हुयी है और मुफ़सेदीन बद अ़मल ज़्यादा हैं हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा की हदीस भी उसका पता दे रही है।

## ज़ियारते क़ुबूर औरतों के लिये हराम है

उसी की जिल्दे चहारुम का मतलब वाज़ेह कर दिया कि हुक्म क्या बयान फ़रमाया यह कि अब ज़ियारते क़ुबूर औरतों को मकरूह ही नहीं बल्कि हराम है। यह न फ़रमाया कि वैसी को हराम है, ऐसी को हलाल है, वैसी को पहले भी हराम था, इस ज़माना की क्या तख़सीस?

आगे फ़रमाया ख़ुसूसन ज़नाने मिस्र और उसकी तअ़लील

की कि उनका ख़ुरूज बर वजहे फ़ितना है यही औलवीयते तहरीम की वजह है, न कि हुक्म वक़ूअे फ़ितना से ख़ास और फ़ितना गर औरतों से मख़सूस, हां! यह मसलक शांफ़ईयों का है। अभी इमाम अैनी से सुन चुके कि عَنِ الشَّافِعِيِّ يُبَاحُ لَهُنَّ الْخُرُوْجُ व लिहाज़ा किरमानी फिर असक़लानी फिर क़स्तलानी कि सब शाफ़ईया हैं। शुरूहे बुख़ारी में इस तरफ़ गये। किरमानी ने क़ौले इमाम तयमी कि फ़सादे बाज़ जनान के सबब सब औरतों को मुमानअ़त पर दलील है। नक़ल करके कहा--

قُلْتُ الَّذِيْ يَعُوْلُ عَلَيْهِ مَا قُلْنَا وَلَمْ يَحْدُثِ الْفَسَادُ فِي الْكُلِّ

मैंने कहा: मुअ़तमद वही है जो हमने बयान किया, सब औरतों में तो ख़राबी नहीं आई है।

जिल्द चहारुम में अबू उमर इब्ने अब्दुल बर्र से देखिए –

أَمَّا الشَّوَابُّ فَلَا تُؤْمَنُ مِنَ الْفِتْنَةِ عَلَيْهِنَّ وَبِهِنَّ حَيْثُ خَرَجْنَ وَلَا شَيْءَ لِلْمَرْأَةِ أَحْسَنُ مِنْ لُزُوْمِ قَعْرِ بَيْتِهَا

रहीं जवान औरतें तो उन पर और उन से फ़ितना वाक़ेअ़ होजाने से बे ख़ौफ़ी नहीं यह जहाँ भी निकलें, औरत के लिये अपने घर की तह इख़्तियार करने से बेहतर कोई चीज़ नहीं।

अलहम्दु लिल्लाह! अब तो वजूहे हक़ में कुछ कमी न रही--

## शौहर सिर्फ़ चन्द मक़ामात पर जाने के लिये औरत को इजाज़त दे

ज़रा यह भी देख लीजिये कि हमारे उलमाए किराम ने ख़ुरूजे ज़न के चन्द मवाज़ेअ़ गिनाए जिन का बयान हमारे रिसाला مُرُوْجُ النَّجَا لِخُرُوْجِ النِّسَاءِ में है और साफ़ फ़रमा दिया है कि इनके सिवा में इजाज़त नहीं और अगर शौहर इज़्न देगा तो दोनों गुनहगार होंगे। दुर्रे मुख़्तार में है।

لَا تَخْرُجُ إِلَّا لِحَقٍّ لَهَا أَوْ عَلَيْهَا

औरत न निकले मगर अपने लिये या अपने ऊपर किसी हक़ के

أَوْ لِزِيَارَةِ أَبَوَيْهَا كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً أَوِ الْمَحَارِمِ كُلَّ سَنَةٍ وَلِكَوْنِهَا قَابِلَةً أَوْ غَاسِلَةً لَا فِيمَا عَدَا ذٰلِكَ وَإِنْ أَذِنَ كَانَا عَاصِيَيْنِ

सबब या हर हफ़्ता में एक बार वालिदैन की मुलाकात के लिये या साल में एक बार दिगर महारिम की मुलाकात के लिये और दाया या नहलाने वाली होने के सबब इनके इलावा सूरतों में न निकले और अगर शौहर ने इजाज़त दे दी तो दोनो गुनहगार होंगे।

नवाज़िले इमाम फ़कीह अबुल लैस व फ़तावा ख़ुलासा व फ़तहुल क़दीर वग़ैरहा में है—



يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا بِالْخُرُوجِ إِلَى سَبْعَةِ مَوَاضِعَ زِيَارَةُ الْأَبَوَيْنِ وَعِيَادَتُهُمَا وَتَعْزِيَتُهُمَا أَوْ أَحَدِهِمَا وَ زِيَارَةُ الْمَحَارِمِ فَإِنْ كَانَتْ قَابِلَةً أَوْ غَاسِلَةً أَوْ كَانَ لَهَا عَلَى آخَرَ حَقٌّ أَوْ كَانَ لِآخَرَ عَلَيْهَا حَقٌّ تَخْرُجُ بِالْإِذْنِ وَ بِغَيْرِ الْإِذْنِ وَالْحَجُّ عَلَى هٰذَا وَفِيمَا عَدَا ذٰلِكَ مِنْ زِيَارَةِ الْأَجَانِبِ وَعِيَادَتِهِمْ وَالْوَلِيمَةِ لَا يَأْذَنُ لَهَا لَوْ أَذِنَ وَخَرَجَتْ

शौहर के लिये जाइज़ है कि औरत को सात मक़ामात में निकलने की इजाज़त दे (1) माँ बाप दोनों या किसी एक की मुलाकात (2) उनकी अयादत, (3) उनकी तअज़ीयत, (4) महारिम की मुलाकात (5) अगर दाया हो (6) या मुर्दे को नहलाने वाली हो (7) या उसका किसी दूसरे पर हक़ हो या दूसरे का उस पर हक़ हो तो इन आख़री तीन सूरतों में इजाज़त लेकर और बिला इजाज़त भी निकलेगी। हज भी इसी हुक्म में है। इन सूरतों के इलावा अजनबियों की मुलाक़ात उनकी अयादत और दावते वलीमा के लिये शौहर इजाज़त न दे अगर इजाज़त दी और औरत

كانا عاصين - गयी तो मर्द व औरत दोनों गुनहगार होंगे[1]।

मुलाहज़ा हो इन में कहीं ज़ियारते क़ुबूर का भी इस्तिसना किया? क्या यह इस्तिसना किसी मुअ़तमद किताब में मिल सकता है?

اقول وبالله التوفيق وبه الوصول الى ذرى التحقيق मैं कहता हूँ और तौफ़ीक़ अल्लाह ही की तरफ़ से है और उसकी मदद से तहक़ीक़ की बुलन्दियों तक रिसाई है।

## महज़ ज़ियारते क़ब्र और ज़ियारते क़ुबूर के लिये औरतों के निकलने में फ़र्क़

इन तमाम मबाहिसे[2] जलीला से बेहमदिल्लाहे तआ़ला एक

---

1. यह इबारत और यह सात मक़ामात याद रखने के हैं—मर्दों ने औरतों को आने जाने के मामले में जितनी ज़्यादा छूट दे रखी है, उसका शरीअत में कहीं पता नहीं। उन्हें अपनी मातहत औरतों के बारे में इतनी ख़ुशफ़हमी रहती है कि जहां किसी औरत ने किसी उर्स, किसी इज्तमाअ, किसी शादी, किसी जलसे में शिरकत, किसी ग़ैर महरम क़राबतदार या किसी दोस्त के यहां हाज़िरी की ख़्वाहिश ज़ाहिर की उन्होंने इजाज़त दी—या इतने से नहीं तो ज़िद और इसरार के बाद तो ज़रूर ताबेअ़ फ़रमान हुए—लोग राहों और ग़ैर महरमों के घरों में औरतों की बेपर्दगी, ना–महरमों से आंखें मिलाकर गुफ्तगू, या कम से कम अजनबियों वह भी फ़ासिक़ों, फ़ाजिरों बल्कि काफ़िरों, शातिरों, खुदा नातर्सों की नज़र पड़ने का तमाशा खुद देखते हैं—और दूसरों की औरतों के लिए उसे सख़्त ना–पसन्द भी करते हैं और वाक़ई हमीयते इस्लाम का तक़ाज़ा भी यही होना चाहिए। मगर खुद भी तो इजाज़त देते वक़्त अंजाम पर ग़ौर कर लेना चाहिए।—यह और बात है कि मौलाए करीम की तरफ़ से हिफ़ाज़त हो जाए और अस्ल फ़ितने का वक़ूअ़ न हो— मगर बताइये क्या शरीअत ने औरत का ना–महरमों, अजनबियों के सामने इस बेपर्दगी की कहीं इजाज़त दी है? —सहाबा व ताबईन तो अपनी पारसा, नमाज़ी, मुत्तक़ी औरतों के लिए वह पाबन्दियां रखीं और अब यह आज़ादियां दी जायें। दोनों हालतों और नज़रियों में कितना फ़र्क़ है?—अब तो पहले से ज़्यादा पाबन्दी की ज़रूरत है—अल्लाह हिदायत दे और शरीअ़ते मुतह्हरा पर अ़मल की तौफ़ीक़ से नवाज़े —आमीन।

2. यही वह ततबीक़ है जिसका इशारा नं॰ 5 के हाशिया में गुज़रा, हासिल यह कि उलमाए किराम की इबारतों में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं। क्योंकि जाइज़ कहने वाले आम उलमा ने यह लिखा है कि औरत के लिए ज़ियारते क़ब्र जाइज़ है, और नाजाइज़ कहने

जलील व दक़ीक़ तौफ़ीक़े अनीक़ ज़ाहिर हुई आम्मए मुजव्वज़ीन "नफ़्से ज़ियारते क़ब्र" लिखते हैं कि इसकी इजाज़त औरतों को भी हुई, ज़ियारते क़ुबूर के लिये "ख़ुरूजे निसा" नहीं कहते आम कुतुब में इसी क़दर है और मानेईने ज़ियारते क़ब्र के लिये औरतों के 'जाने' को मना फ़रमाते हैं। व लिहाज़ा ख़ुरूज इलल मस्जिद की मुमानअ़त से सनद लाते हैं और इनके ख़ुरुज में ख़ौफ़े फ़ितना से इस्तिदलाल फ़रमाते हैं, तमाम नुसूस कि हमने ज़िक्र किये इसी तरफ़ जाते हैं तो अगर क़ब्र घर में हो या औरत मसलन हज या किसी सफ़रे जाइज़ को गई राह में कोई क़ब्र मिली उस की ज़ियारत कर ली बशर्ते कि जज़अ़ व फ़ज़अ़ व तजदीदे हुज़न व बुका व नौहा व इफ़रात व तफ़रीते अदब वग़ैरह मुनकराते शरइय्या से ख़ाली हो।

कश्फ़ बुज़दवी (एक किताब का नाम है) में जिन रिवायात से सिहते रूख़्सत पर इस्तिनाद फ़रमाया उनका मफ़ाद इसी क़दर है।

حيث قال والاصح ان الرخصة ثابتة للرجال والنساء جميعا

उन्होंने यूँ फ़रमाया और सही तर यह है कि रुख़सत मर्द व औरत दोनों के लिये साबित है। क्योंकि मरवी है हज़रत आइशा

---

वालों ने यह फ़रमाया है कि ज़ियारते क़ब्र के लिए औरतों का जाना मना है। जो जाइज़ कहने वाले है वह ज़ियारते क़ब्र को जाइज़ कहते हैं। इस मकसद से जाने और बाहर निकलने को नाजाइज़ कहते हैं, वह ज़ियारते क़ब्र के लिए जाने और बाहर निकलने को नाजाइज़ कहते हैं। ख़ास जियारते क़ब्र को नहीं— तो अगर ऐसी सूरत हो कि इस मकसद से निकलना न पाया जाये, और ज़ियारते क़ब्र करलें तो मना करने वाले भी इसे जाइज़ रखेंगे, मसलन (1) क़ब्र घर में है (2) औरत सफ़रे हज (3) या किसी सफ़रे जाइज़ को जा रही है, राह में क़ब्र है उसने ज़ियारत कर ली तो इस क़दर जाइज़ ही होगा। बशर्ते कि ऐसा कोई अमर न पाया जाये जो शरअ़न जाइज़ नहीं—मसलन रोना धोना, बेसब्री, घबराहट, परेशानी ज़ाहिर करना, क़ब्र की बेअदबी या हद्दे शरअ़ से जियादा ताज़ीम करना वग़ैरह—लेकिन चूंकि यह सारी रिआयतें उमूमन औरतों से हो नहीं पातीं —इसलिए फ़ाज़िले बरेलवी आगे फ़रमाते हैं—कि ज़ियादा ख़ैरियत इसी में है कि उन्हें इससे भी रोका जाये (आम इजाज़त न दी जाये) और एक मुस्तहब की तमअ़ में बहुत सी ममनूआ़त का ख़तरा मोल न लिया जाये।

فَقَدْ رُوِیَ اَنَّ عَائِشَۃَ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا كَانَتْ تَزُوْرُ قَبْرَ رَسُوْلِ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّمَ فِیْ كُلِّ وَقْتٍ وَّاَنَّہَا لَمَّا خَرَجَتْ حَاجَّۃً زَارَتْ قَبْرَ اَخِیْہَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ

रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ब्रे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत तो हर वक़्त करतीं और जब सफ़रे हज को निकलतीं तो राह में अपने भाई अब्दुर्रहमान की क़ब्र की ज़ियारत कर लेतीं।

## औरतों का ज़ियारते क़ुबूर के लिये जाना मकरूहे तहरीमी है

बहरूर्राइक़ व आलमगीरी व जामेउर्रुमूज़ व मुख़्तारुल फ़तवा व कश्फ़ुल ग़िता, व सिराजिया व दुर्रे मुख़्तार व फ़तहुल मन्नान की इबारतें जिन से तसहीहुल मसाइल में इस्तिनाद किया। हमारे ख़िलाफ़ नहीं, हां मातहे मसाइल पर रद्द हैं, जिसमें मुतलक़ कहा था। "ज़नाँ रा ज़ियारते क़ुबूर बक़ौले असह मकरूह तहरीमी अस्त" लाजरम वही दुर्रे मुख़्तार जिसमें था।

لَا بَاْسَ بِزِیَارَۃِ الْقُبُوْرِ لِلنِّسَاءِ

औरतों के लिये ज़ियारते क़ुबूर में हरज नहीं।

उसी में है--

وَیُكْرَہُ خُرُوْجُہُنَّ تَحْرِیْمًا

औरतों का निकलना मकरूहे तहरीमी है।

## जनाज़े में शिरकत की मुमानअत

वही बहरुर्राइक़ जिस में था اَلْاَصَحُّ اَنَّ الرُّخْصَۃَ ثَابِتَۃٌ لَّہُمَا[1] उसी में है।

لَا یَنْبَغِیْ لِلنِّسَاءِ اَنْ یَّخْرُجْنَ فِی الْجَنَازَۃِ لِاَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی

औरतों को जनाज़े में निकलना न चाहिये क्योंकि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन्हें

1. सही तर यह है कि रुख़सते ज़ियारत मर्द व औरत दोनों के लिए साबित है।

عليه وسلم نهاهن عن ذلك وقال انصرفن مأزورات غير مأجورات ـ

इससे मना किया है और फ़रमाया है कि वह गुनहगार बे सवाब पलटती हैं।

इत्तेबाए जनाज़ा कि फ़र्ज़े किफ़ाया है। जब इसके लिये उनका ख़ुरूज नाजाइज़ हुआ तो ज़ियारते क़ुबूर कि सिर्फ़ मुस्तहब है। उसके लिये कैसे जाइज़ हो सकता है? फिर नफ़्से ज़ियारते क़ब्र जिसके लिये औरत का ख़ुरूज न हो, उसका जवाज़ भी इन्दत्तहक़ीक़ फ़ी नफ़्सेही है कि जिन शुरूते मज़कूरा से मशरूत उनका इजतिमा नज़र बआदते ज़नाँ नादिर है और नादिर पर हुक्म नहीं होता तो सबीले असलम इससे भी रोकना है।

## ज़ियारते क़ब्र से मना करने और न मना करने में ततबीक़ और उस पर आला हज़रत का हाशिया

रद्दुल मुहतार और मिनहतुल ख़ालिक़ में है :–

ان كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء والندب على ما جرت به عادتهن فلا يجوز وعليه حمل حديث لعن الله زائرات القبور وان كان للاعتبار والترحم من غير بكاء والتبرك بزيارة قبور الصالحين فلا بأس اذا كن عجائز ويكره اذا كن شواب

अगर यह ग़म ताज़ा करने, रोने और बैन करने के लिये हो जैसा कि औरतों की आदत है तो नाजाइज़ है। उसी पर महमूल होगी यह हदीस कि 'अल्लाह ने ज़ियारते क़ब्र करने वालियों पर लानत की' और अगर इबरत हासिल करने, रोये बग़ैर रहम खाने और क़ुबूरे सालेहीन से बरकत हासिल करने के लिये हो तो जमाअते मस्जिद में हाज़िरी की तरह बुढ़ियों के लिये हर्ज नहीं और जवानों के लिये मकरूह है। रद्दुल मुहतार में इज़ाफ़ा किया कि

كحضور الجماعة في المسجد اه زاد في رد المختار وهو توفيق حسن اه وكتبت عليه اقول قد علم ان الفتوى على المنع مطلقا ولو عجوزا ولو ليلا فكذلك في زيارة القبور بل اولى ـ

यह उम्दा ततबीक़ है उस पर मैंने (इमाम अहमद रज़ा) ने हाशिया लिखा, मैं कहता हूँ यह मालूम हो चुका है कि फ़तवा इस पर है कि जमाअते मस्जिद की हाज़िरी औरतों के लिये मुतलक़न मना है, अगरचे औरत बूढ़ी हो, अगरचे रात को निकले, तो यूँ ही ज़ियारते क़ुबूर को निकलने में सभी औरतों के लिये मुमानअत होगी बल्कि यहाँ बदर्जए औला होगी।



आपने एक सूरत शेख फ़ानी[1] मुरतइश से पर्दे के अन्दर तवज्जोह लेने की ज़िक्र की है। इसमें क्या हर्ज है। जबकि ख़ारिज से कोई फ़ितना न हो न उसे यहाँ से इलाक़ा।

## अल्लाह की तरफ़ बुलाने वाला सिर्फ़ मर्द ही हो सकता है

मगर वह जो औरत का ख़लीफा होना लिखा, सही नहीं, अइम्मए बातिन का इजमा है कि औरत दाईए[2] इलल्लाह नहीं हो

1. शेख फ़ानी, फ़ना के करीब पहुंचा हुआ बूढ़ा। मुरतइश—जिसको रअशा और बराबर कपकपी का मर्ज़ हो।

2. दाईए इलल्लाह— अल्लाह की तरफ दावत देने वाली, ज़ाहिर है कि अहले बातिन अपनी इस्तलाह में दाईए इलल्लाह उसको नहीं कहते जिसने किसी को नमाज व रोज़ा या इस्लाम व ईमान की तलक़ीन कर दी। यह तो हमारी इस्तलाह में दाई व मुबल्लिग़ कहा जाएगा। मगर अहले बातिन दाईए इलल्लाह उसे कहेंगे जो अपनी हिदायत व इर्शाद तर्बियत व तालीम और तज़किया बातिन के ज़रीया खुदा तक पहुंचने की दावत देने वाला और खुदा तक पहुंचाने वाला जैसा इमाम अब्दुल वहाब शुअरानी अलैहिर्रहमा की इबारत से ज़ाहिर है। यक़ीनन उनके नज़दीक यह औरत का मनसब नहीं, हां! औरत का मनसब इतना ज़रूर है कि अपनी औलाद, महारिम, शौहर या सिर्फ औरतों को नेक बातों का हुक्म करे, बुराइयों से रोके अलबत्ता ना महरमों और आम मजमों से खिताब करना उसके हुदूद से बाहर है।

सकती, हाँ तदाबीर इर्शाद कर्दाए मुर्शिद बताने में सफ़ीरे महज़ हो तो हर्ज नहीं।

इमाम शुअ़रानी मीज़ानुश्–शरीअ़तुल कुबरा में फ़रमाते हैं–

قَدْ اَجْمَعَ اَهْلُ الْكَشْفِ عَلَى اشْتِرَاطِ الذُّكُوْرِ فِيْ كُلِّ دَاعٍ اِلَى اللهِ وَلَمْ يَبْلُغْنَا اَنَّ اَحَدًا مِنْ نِسَاءِ السَّلَفِ الصَّالِحِ تَصَدَّرَتْ لِتَرْبِيَةِ الْمُرِيْدِيْنَ اَبَدًا لِنَقْصِ لِلنِّسَاءِ فِي الدَّرَجَةِ وَاِنْ وَرَدَ الْكَمَالُ فِيْ بَعْضِهِنَّ كَمَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ وَاٰسِيَةَ اِمْرَاَةِ فِرْعَوْنَ فَذٰلِكَ كَمَالٌ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّقْوٰى وَالدِّيْنِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ وَتَمْلِيْكِهِمْ فِيْ مَقَامَاتِ الْوِلَايَةِ وَغَايَةُ اَمْرِ الْمَرْاَةِ اَنْ تَكُوْنَ عَابِدَةً زَاهِدَةً كَرَابِعَةَ الْعَدَوِيَّةِ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا۔

अहले बातिन का इस बात पर इजमा व इत्तेफ़ाक़ है कि हर दाईए इलल्लाह के लिये मर्द होना शर्त है और हमें ऐसी कोई रिवायत नहीं मिली कि सल्फ़े सालेहीन की मस्तूरात में से कोई ख़ातून मुरीदों की तरबियत के लिये कभी सदर नशीन हुई हों। क्योंकि औरतें दर्जा में नाक़िस हैं और बाज़ ख़्वातीन मसलन हज़रत मरियम बिन्त इमरान और आसिया ज़ौजए फ़िरऔन रज़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा के बारे में जो कामिल होने का ज़िक्र आया है, तो यह कामिल होना तक़वा और दीनदारी के लिहाज़ से है। लोगों के दर्मियान हाकिम होने और उन्हें मकामाते विलायत तय कराने के लिहाज़ से नहीं है। औरत की ग़ायते शान बस यह है कि आ़बिदा, ज़ाहिदा हो जैसे राबिया अ़दविया रज़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा।

وَاللهُ سُبْحٰنَهٗ وَتَعَالٰى اَعْلَمُ وَعِلْمُهٗ جَلَّ مَجْدُهٗ اَتَمُّ وَاَحْكَمُ